मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड, सेक्टर–एल, ओ.पी. जिंदल इण्डस्ट्रीयल पार्क, पूंजीपथरा, ग्राम–पूंजीपथरा, तहसील–घरघोडा, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) स्थित प्लाट क्रमांक 211, 213(पार्ट) एवं 212(पार्ट), कुल क्षेत्रफल 4.5 हेक्टेयर में Expansion of Steel Plant (Upgradation of existing 3x7 T Induction Furnaces to 3x12 T, establishment of New 2x12 T Induction Furnaces and Upgradation of existing Rolling Mill from 55,000 TPA to 1,57,500 TPA) स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई **दिनांक 03 मार्च 2021 का कार्यवाही विवरण :–**

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार, मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड, सेक्टर–एल, ओ.पी. जिंदल इण्डस्ट्रीयल पार्क, पूंजीपथरा, ग्राम–पूंजीपथरा, तहसील–घरघोड़ा, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) स्थित प्लाट क्रमांक 211, 213(पार्ट) एवं 212(पार्ट), कुल क्षेत्रफल 4.5 हेक्टेयर में Expansion of Steel Plant (Upgradation of existing 3x7 T Induction Furnaces to 3x12 T, establishment of New 2x12 T Induction Furnaces and Upgradation of existing Rolling Mill from 55,000 TPA to 1,57,500 TPA) की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई **दिनांक 03.03.2021, दिन–बुधवार, समय प्रातः 11:00 बजे, स्थान–बंजारी मंदिर के समीप का स्थल, तहसील–तमनार, ज़िला–रायगढ़** में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी रायगढ़, की अध्यक्षता में लोकसुनवाई प्रातः 11:00 बजे प्रारंभ की गई। लोक सुनवाई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रायगढ़ तथा क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल रायगढ उपस्थित थे। लोक सुनवाई में आसपास के ग्रामवासी तथा रायगढ़ के नागरिकों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं ने भाग लिया। सर्वप्रथम पीठासीन अधिकारी द्वारा उपस्थित प्रभावित परिवारों, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों, ग्रामीणजनों, एन.जी.ओ. के पदाधिकारी, गणमान्य नागरिक, जन प्रतिनिधि तथा इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मिडिया के लोगो का स्वागत करते हुये जन सुनवाई के संबंध में आम जनता को संक्षिप्त में जानकारी देने हेतु क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी को निर्देशित किया। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.06 के प्रावधानो की जानकारी दी गयी, साथ ही कोविड 19 के संबंध में गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश दिनांक 30.09.2020 के अनुसार सोशल डिस्टेसिंग का पालन करने, हेण्डवाश अथवा सेनेटाईजर का उपयोग किये जाने, मास्क पहनने एवं थर्मल स्केनिंग किये जाने की जानकारी दी गई। पीठासीन अधिकारी द्वारा कंपनी के प्रोजेक्ट हेड तथा पर्यावरण सलाहकार को प्रोजेक्ट की जानकारी, पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव, रोकथाम के उपाय तथा आवश्यक मुद्दे से आम जनता को विस्तार से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया।

लोक सुनवाई में कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा परियोजना के प्रस्तुतिकरण से प्रारंभ हुई। सर्वप्रथम मैं गीतेश शाह, जनरल मैनेजर, एन.आर.टी.एम.टी. (इंडिया) प्रा. लिमिटेड की ओर से, माननीय अपर कलेक्टर श्री राजेन्द्र कुमार कटारा जी, एस.डी.एम. घरघोड़ा श्री ए.के. मार्बल जी, क्षेत्रीय अधिकारी, रायगढ़ छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल श्री शितेश कुमार वर्मा जी, एडिशनल एस.पी. श्री अभिशेक वर्मा जी, सी.एस.पी. महोदय श्री अविनाश सिंह ठाकुर जी, एवं उपस्थित अन्य अधिकारीगण तथा पुलिस प्रशासन का और साथ ही उपस्थित जनता का इस लोकसुनवाई में स्वागत करता हूँ। हमारे द्वारा प्लाट क्रमांक 211, 212 (पार्ट) एवं 213 (पार्ट), सेक्टर एल, ओ.पी. जिंदल औद्योगिक पार्क ग्राम–तुमीडीह, पूंजीपथरा, तहसील–तमनार, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) में 56,700 टन/वर्ष हॉट मैटल उत्पादन हेतु 3 गुणा 7 मिट्रिक टन इण्डक्शन फर्नेस तथा 55,000 टन/वर्ष रोल्ड प्रोडक्ट्स उत्पादन हेतु हॉट चार्जड रोलिंग मिल इकाईयों का संचालन किया जा रहा है। इस हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा सम्मती नवीनीकरण जारी किया गया है, जिसकी वैधता दिनांक 31.05.2022 तक है। वर्तमान में

प्रस्तावित क्षमता विस्तार में कंपनी द्वारा विद्यमान 3 गुणा 7 मिट्रिक टन इण्डक्शन फर्नेस का 3 गुणा 12 मिट्रिक टन में उन्नयन तथा नई 2 गुणा 12 मिट्रिक टन इण्डक्शन फर्नेस की स्थापना एवं विद्यमान रोलिंग मिल में आधुनिकीकरण–55000 टन/वर्ष से 1,57,500 टन/वर्ष (हॉट चार्जिंग पद्यति द्वारा) की स्थापना विद्यमान परिसर में ही करना प्रस्तावित है। वर्तमान में उद्योग के पास 10.50 एकड़ औद्योगिक भूमि उपलब्ध है तथा इसी भूमि पर ही क्षमता विस्तार प्रस्तावित है एवं अतिरिक्त भूमि क्रय नहीं की जावेगी। प्रस्तावित क्षमता विस्तार परियोजना के लिए वर्तमान पर्यावरण नियमानुसार हमारे द्वारा केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। इसी तारतम्य में यह लोक सुनवाई आयोजित की गई है। वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु हमारे द्वारा वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए संचालित इण्डक्शन फर्नेस में स्थापित बैग फिल्टर का उन्नयन प्रस्तावित है तथ नई इण्डक्शन फर्नेस इकाई में नये बैग फिल्टर की स्थापना प्रस्तावित है। स्थापित तथा प्रस्तावित रोलिंग मिल को हॉट चार्जिंग पद्यति द्वारा संचालित किया जाना प्रस्तावित है इसलिये इसमें कोई भी वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण की स्थापना प्रस्तावित नहीं है। सभी वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की दक्षता पार्टीकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 30 मिलिग्राम/घन मीटर से कम के अनुरूप होगी। जल प्रदूषण की रोकथाम हेतु वर्तमान में संचालित इकाईयों हेतु लगभग 80 घन मीटर प्रतिदिन जल की आवश्यकता होती है जिसकी आपूर्ति भू–जल स्त्रोत द्वारा की जाती है तथा जल आहरण हेतु केन्द्रीय भू–जल मण्डल द्वारा अनुमति प्राप्त की गई है। प्रस्तावित संयंत्रों के संचालन हेतु 123 घन मीटर प्रतिदिन जल की आवश्यकता होगी जिसे भी भू–जल स्त्रोत द्वारा आहरण किया जावेगा। क्षमता विस्तार की अतिरिक्त जल राशी हेतु केन्द्रीय भू–जल मण्डल को आवेदन किया गया है जो की अभी लंबित है। प्रस्तावित इकाई द्वारा उत्सर्जित औद्योगिक दूषित जल को सेटलिंग पॉण्ड में भेजा जायेगा जहां से उसे क्लोज्ड कूलिंग सर्किट द्वारा पुनर्चक्रित किया जाना प्रस्तावित है। दूषित जल में ऑइल एवं ग्रीस तथा क्लीनिंग एजेंट के साथ मिलने की दशा में इसके उपचार हेतु ऑइल एवं ग्रीस ट्रैप्स का प्रावधान किया जावेगा। परियोजना विस्तार द्वारा घरेलु दूषित जल का उत्सर्जन 8 कि.ली./प्रतिदिन होगा एवं इसका उपचार सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट द्वारा किया जायेगा। उपचारित सीवेज का पुर्नउपयोग वृक्षारोपण हेतु किया जावेगा। प्रस्तावित क्षमता विस्तार परियोजना के बाद शून्य निस्तारण की स्थिति बनाई रखी जावेगी जिससे आस–पास के पर्यावरण पर दूषित जल का नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा। परिसर में लगभग 3.5 एकड़ भूमि पर वृक्षारोपण किया गया है तथा अभी तक हमारे द्वारा लगभग 2800 नग वृक्षारोपण किया गया है। आगामी मानसून में विकसित वृक्षारोपण को और सघ्न किया जावेगा। हमारे द्वारा संचालित इकाई में आस–पास के लोगो को योग्यतानुसार रोजगार दिया गया है तथा प्रस्तावित परियोजना में भी स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दी जावेगी। सामाजिक दायित्व का निर्वहन नियमानुसार एवं आवश्यकतानुसार किया जावेगा। प्रस्तावित परियोजना में प्रदूषण की रोकथाम हेतु पर्यावरण एव वन मंत्रालय एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा सुझायें गये सभी उपयों को अपनाया जायेगा जिससें परियोजना द्वारा निकटस्थ क्षेत्रों में नकारात्मक प्रभाव नहीं होंगे। अंत में प्रस्तावित परियोजना के लिये उपस्थित जनता से सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद।

तदोपरांत पीठासीन अधिकारी द्वारा परियोजना से प्रभावित ग्रामीणजनों/परिवार, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों, जन प्रतिनिधियों, एन.जी.ओ. के पदाधिकारियों, समुदायिक संस्थानों, पत्रकारगणों तथा जन सामान्य से अनुरोध किया कि वे परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव, जनहित से संबंधित ज्वलंत मुद्दों पर अपना सुझाव, विचार, आपत्तियां अन्य कोई तथ्य लिखित या मौखिक में प्रस्तुत करना चाहते है तो सादर आमंत्रित है। यहा सम्पूर्ण कार्यवाही की विडियोग्राफी कराई जा रही है।

आपके द्वारा रखे गये तथ्यों, वक्तव्यों/बातों के अभिलेखन की कार्यवाही की जायेगी जिसे अंत में पढ़कर सुनाया जायेगा तथा आपसे प्राप्त सुझाव, आपत्ति तथा ज्वलंत मुद्दों पर प्रोजेक्ट हेड तथा पर्यावरण सलाहकार द्वारा बिन्दुवार तथ्यात्मक स्पष्टीकरण भी दिया जायेगा। सम्पूर्ण प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता बरती जायेगी, पुनः अनुरोध किया कि आप जो भी विचार, सुझाव, आपत्ति रखे संक्षिप्त, सारगर्भित तथा तथ्यात्मक रखें ताकि सभी कोई सुनवाई का पर्याप्त अवसर मिले तथा शांति व्यवस्था बनाये रखने का अनुरोध किया गया। लोक सुनवाई में लगभग 650–700 लोगों का जन समुदाय एकत्रित हुआ। उपस्थिति पत्रक पर 152 लोगों ने हस्ताक्षर किये। इसके उपरांत उपस्थित जन समुदाय से सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणी आमंत्रित की गयी, जो निम्नानुसार है –

सर्व श्रीमती/सुश्री/श्री –

1. अंकुर गोटिया, तराईमाल – बजांरी मां मंदिर कासंचालक हूँ। मै जमीन बंजारी मां को दान में दिया हूं। यहां सभी जगह कोराना है लेकिन बंजारी मंदिर में कोई शिकायत नहीं है। जब उद्योग पति आये थे तब सभी जगह का विकास हुआ है। जिंदल पहले आया है। उसके बाद सभी उद्योगपति आये और दान दिये है। तराईमाल एक छोटा सा गांव था। यहा का आबादी 4000 हो गया है। सभी अपना घर दो–तीन मंजिल बना लिये है। प्लांट में कोई काम नहीं कर रहा है। तराईमाल पंचायत में सब उद्योग है। किससी की मृत्यू हो जाती है उद्योगपति पैसा देते है। हमारे तराईमाल तुमीडीह में उद्योगपति भगवान बन गये है, सब सहयोग कर रहे है। शासन का 2100000 लगा है बाकी सब उद्योगपति बनावये है। यहां कई बार जन सुनवाई हो गया है। विरोध जो करेंगें वो कंपनी को नहीं मंदिर का करेंगें और आपराधी होगें। उद्योगपति सहयोग करे और विकास करें। हम सब मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
2. दिलकुमारी, पूंजीपथरा – मेरे पति का नाम पटेल है, मेरे पति को कुछ नहीं मिलता है। मेरा पति जिंदल में काम करता है ओर पेसा नहीं मिलता है।
3. जमनी, सामारूमा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
4. रूची शर्मा, सामारूमा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
5. पूजा यादव, तुमीड़ीह – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
6. भगवती यादव, सामारूमा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
7. कुमारीबाई, सामारूमा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
8. आनंद राठिया, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ। पानी का सुविधा किया जाये। हम लोग पानी मांग रहें।
9. तेजराम, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
10. शंकर, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
11. जया, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
12. लक्ष्मीप्रसाद, तुमीड़ीह – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
13. सरोजनी, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
14. सिंदु महंत, तुमीड़ीह – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
15. रामदयाल, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
16. श्यामबाई, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
17. रिमा, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
18. वृन्दावती, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
19. सहोद्रा, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।

20. नानबाई, पूजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
21. सुभद्रा, पूजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
22. सविता, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
23. दयाराम, तराईमाल – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
24. सीताराम, तराईमाल – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
25. घुराउराम, तराईमाल – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
26. दीपक ठाकुर, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
27. देवकुमार, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
28. उवलटीना कुजुर, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
29. ललिता, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
30. सुकमति, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
31. संगिता, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
32. हेमकुवंर साहू, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
33. श्यामकुमार, तराईमाल – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
34. राकेश्वर सिदार, तराईमाल – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
35. शंकर यादव, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
36. तिहारू, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
37. सरल कुमार, तराईमाल – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
38. पंझरा, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
39. कौशिल्या, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
40. सुकमति, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
41. ज्योति, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
42. संजना, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
43. संतोष, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
44. हेमेल सिंह, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
45. टिकाराम, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
46. पिल्हर, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
47. संजय, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
48. ममता, सामारूमा – हमारे क्षेत्र में उद्योग के आने से रोजगार का अवसर प्राप्त हुआ है। अभी लोगो के पास काम है और योग्यता के अनुसार काम दिया जाये, पर्यावरण को बचाने के लिये वृक्षारोपण किया जायें। मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
49. मेनका, तराईमाल – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
50. बसंती, सामारूमा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
51. लुधयाना, तराईमाल – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
52. सुमन, तराईमाल – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
53. समारीबाई, सामारूमा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
54. नोहरराम, तराईमाल – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
55. कृष्णा, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।

56. मोहन, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
57. अरूण, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
58. नाग, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
59. नंदनी, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
60. रजनी भगत, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
61. रनवती, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
62. रूपमआदि, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
63. राधिका, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
64. दिनेश राठिया, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
65. संजय राम, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
66. गुलाब यादव, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
67. महेशराम, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
68. पंचराम, सामारूमा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
69. मंगलीबाई, तराईमाल – मोला काम चाहिये, श्यान आदमी हो।
70. दीपिका चौहान, सामारूमा – हमारे क्षेत्र में उद्योग के आने से रोजगार का अवसर प्राप्त हुआ है। अभी लोगो के पास काम है और योग्यता के अनुसार काम दिया जाये, पर्यावरण को स्वच्छ और साफ बनाने के लिये वृक्षारोपण किया जायें। मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
71. सरस्वती यादव, सामारूमा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
72. सरस्वती, सामारूमा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
73. पदमा, तराईमाल – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
74. दशरथ सोनी, – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
75. अमावश, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
76. खिरोधर यादव, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
77. रामेश्वर, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
78. रजनीदेवी, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
79. सुकदेव, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
80. सुषमा खलको, तराईमाल – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
81. चम्पा वैष्णव, सामारूमा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
82. सुमित्रा, तराईमाल – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
83. सुकांति, सामारूमा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।

84. जमुना चौहान, सामारूमा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
85. शशि चौहान, सामारूमा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
86. रत्ना यादव, सामारूमा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
87. नर्मदा, सामारूमा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
88. प्रभा यादव, सामारूमा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
89. यशोदा, सामारूमा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
90. अंजना यादव, सामारूमा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
91. पदमिनी, सामारूमा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
92. मीराबाई, सामारूमा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
93. राधा चौहान, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
94. द्रोपति चौहान, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
95. हीरावती, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
96. खीरोबाई, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
97. मीरा चौहान, तराईमाल – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
98. स्वाति उरांव, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
99. प्रेमकुमारी, सामारूमा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
100. करिस्मा चौहान, तराईमाल – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
101. पुष्पा चौहान, तराईमाल – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
102. सोनिया रात्रे, तराईमाल – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
103. वेदीबाई, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
104. सुनाई चौहान, तराईमाल – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
105. केकती लकड़ा, तराईमाल – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
106. सुनिता, तराईमाल – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
107. बसंतीदेवी, तराईमाल – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
108. पूंजा पाण्डेय, तराईमाल – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
109. सुमति, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
110. जानकी, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
111. बिन्देश्वरी भगत, सामारूमा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
112. संतोषी, सामारूमा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
113. बंसती बाई, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।

114. नीरजा, पूजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
115. बिमला यादव, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
116. आरती गणेश जगत, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
117. भारती सिदार, पूजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
118. मनियारो बाई, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
119. दुलारी, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
120. जयमनी, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
121. रतनी, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
122. सोनमति, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
123. ननकीनोनी, सामारूमा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
124. अंबिका यादव, सामारूमा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
125. सुकदई चौहान, सामारूमा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
126. लक्ष्मीन यादव, सामारूमा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
127. पार्वती, सामारूमा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
128. सरनयादव, सामारूमा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
129. सत्या पैंकरा, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
130. पूंजा चौहान, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
131. सरिका सोनी, पूंजीपथरा –– मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
132. लक्ष्मी, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
133. चम्पा, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
134. बिमला साहू, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
135. सोमवति मांझी, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
136. ईश्वरी, – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ। मंहगाई बढ़ गया है काम का रेट कम से कम 300 होना चाहिए।
137. टिकेश्वरी, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
138. राजकुमारी मांझी, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ। मां बंजारी समूह की सदस्य हूँ।
139. बई, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
140. नीराबाई, सामारूमा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
141. श्रद्धा यादव, सामारूमा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।

142. सुनिता, सामारूमा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
143. सुनील कुमार, झारखण्ड – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
144. हलधर पटेल, पूंजीपथरा – प्लांट आने के बाद गांव का विकास हुआ है। पहले गांव बहुत गरीब था आज ठीक है। उद्योग विकास करें। और काम दें।
145. दिनेश, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
146. हर्ष श्रीवास्तव, रायगढ़ – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
147. राजेन्द्र मैत्री – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
148. केदार राम,पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
149. संतोष राम, तराईमाल – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
150. राजेश यादव, रीायगढ़ – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
151. अर्नव तिर्की, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
152. हरिप्रसाद, तराईमाल – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
153. नरेन्द्र महंत, तराईमाल – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
154. लकेश्वर उरांव, तराईमाल – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
155. बलरामसिंह, तराईमाल – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
156. रायगढ़ – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
157. कुंदन, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
158. गोविंद – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
159. दिपेन्द्र, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
160. संभु, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
161. राजेश कुमार, तुमडीह – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
162. नाम, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
163. राहुल, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
164. तारिका तरंगिनी लकड़ा, ग्राम–पूंजीपथरा, बी.डी.ओ. बाड़ी, तहसील–तमनार, जिला–रायगढ़, मान्नीय पीठासीन अधिकारी आपके विभाग की स्थापना छ.ग. सरकार के माध्यम से छ.ग. की जनता पर्यावरण की सुरक्षा के लिए की है। आप आज दिनांक 03.03.2021 को एक उद्योग को फायदा पहूंचाने के लिए अपने कार्य के विपरित, पर्यावरण प्रदूषण करने की अनुमति फर्जी तरिके से देना चाहते हैं। इसी के लिए आज इस जनसुनवाई की प्रक्रिया को दिखावे के लिए आप करवा रहे है॥ सर्वसंबंधितों के लिए सूचना पत्र आपने जारी किया है लेकिन सर्वसंबंधितों तक आपने यह पत्र पहूंचाया ही नहीं। इस पत्र के जारी होने के 30 दिन के भीतर आपने आपत्ति प्रस्तुत करने का समय दिया है। लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं दी है तो लोग आपत्ति करेंगे कैसे? मैं पूंजीपथरा की निवासी हूँ। गांव पंचायत कार्यालय से मैने आपकी दी हुई सूचना की कॉपी मांगी तो भी मुझे नहीं दी गई। इस सूचना को लेने के लिए मेझे रायगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल कार्यालय जाना पड़ा, जहां से मुझे केवल एक पेज जिसमें आज की जनसूचनवाई का दिन, समय की जानकारी दी जा रही वही मुझे दिया गया। मैं पढ़ी–लिखी महिला हूँ संबंधित गांव की निवासी हूँ जब मुझे सूचना मांगने पर भी नहीं दी जा रही है तो अनपढ़ो को आप सूचना कैसे दे सकते हैं? आपने उद्योगों

को खुली छुट दी हुई है। सामारूमा पंचायत के फर्जी सरपंच को पैसे देकर उद्योग कंपनियों में काम करने वाले बाहरी मजदूरों संबंधित पंचायतों का निवासी तबा कर कंपनी के विस्तार के लिए समर्थन कराने के लिए। इस जनसूनवाई के लिए आपकी जिम्मेदारी थी की आप सभी गांव में ग्राम सभा के माध्यम से समर्थन या विरोध प्राप्त करें। लेकिन आप स्वयं ही रिश्वत लेकर दलाली करने आए है। अब आप पर इस दलाली के लिए अपराध दर्ज होना चाहिए या इन बाहरी लोगों पर जो झूठ बोल कर समर्थन करने आए हैं। जो अपने आपको संबंधित पंचायत का निवासी बता कर स्थानीय लोगों की जिंदगी का सौदा कर रहे हैं। जिन्हे एन.आर.टी.एम.टी. कंपनी के द्वारा चाय, नाश्ता और 100–200 रूपये देकर यहां समर्थन करवाने के लिए लाया गया है। मुझे लगता है दोनों पर अपराधिक धारा बनती है। साथ ही इस फर्जी कार्य के लिए पुलिस विभाग सुरक्षा देने आया उसपे भी कार्यवाही होनी चाहिए। अनुसूचित पंचायत में पंचायती राज के विपरित खुले आम हाईवे एन.एच. 49 पर आप इस वारदात को अंजाम दे रहे है। एस.सी., एस.टी. एक्ट के तहत् यह कार्यवाही की जानी चाहिए। पिछली जनसूनवाईयों में जिन बाहरी लोगों ने यहां समर्थन दिया है उनकी डिटेल मैने निकाली है। कुछ लोगों के गांव जाकर मैने लिखित रूप से मुझे दिया है की उन्हें पैसे देकर दारू पीला कर जनसूनवाई में समर्थन के लिए लाया गया था। मना करने पर उन्हे काम से निकालने की धमकी दी जाती हैं। ये सारे दस्तावेज लेकर मैं अब न्यायालय जाने की तैयारी कर रही हूँ। आपको न्यायालय में जवाब देना पड़ेगा। इस फर्जी समर्थन करने वालों को भी न्यायालय में जवाब देना पड़ेगा ये सोच ले कि इन्हे 100–200 रूपये कितने दिन काम आएंगे और कोर्ट के चक्कर कितने दिन लगाने पड़ेंगे। भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के तहत आप यह जनसूनवाई करा रहे है लेकिन इस अधिसूचना से भी आपने हमें वंचित रखा है इसके विषय में भी आपने किसी भी ग्रामसभा को अवगत नहीं कराया है। आपने किसी भी अधिसूचना को संबंधित पंचायत के तक नहीं पहूंचाया है। जनसूनवाई के नियमों के अनुसार किसी भी धार्मिक स्थल पर जनसूनवाई कराया जाना वैधानिक नहीं है। हमने हर जनसूनवाई में बंजारी मंदिर प्रांगण में जनसूनवाई कराए जाने का विरोध किया है लेकिन आपके द्वारा इसी स्थल पर जनसूनवाई कराई जाती है इस जनसूनवाई को भी आप इसी बंजारी मंदिर प्रांगण में ही करवा रहे हैं लेकिन सूचना में आप लिख रहे हैं बंजारी मंदिर के समीप का स्थल। क्योंकि यहां फर्जी लोगों को मंदिर में भगवान के दर्शन का लालच देकर समर्थन कराने में उद्योगपतियों को सुविधा होती है। कोरोना के मरिजों की संख्या अभी लगातार बढ़ रही है ये आपके विभाग बताते है। इसके लिए स्वच्छ पर्यावरण जरूरी हैं प्रदूषित स्थलों में कोरोना के फैलने का खतरा और बढ़ रहा है ये आपके ही विभाग जानकारी देते है, ऐसे में उद्योगों का विस्तार कर प्रदूषण बढ़ाना, पर्यावरण संरक्षण मण्डल को उचित लग रहा है। एक उद्योग कंपनी को फायदा पहूंचाने के लिए लाखों लोगों की बलि चढ़ाना पर्यावरण संरक्षण मण्डल को उचित लग रहा है। आखिर कौन सी मजबूरी है आपकी? कितने रूपयों में सौदा किया है, आपने लागों जिंदगियों का? पूंजीपथरा क्षेत्र आज देश का सबसे प्रदूषित क्षेत्र बन चूका है एक ही गांव में आपने 40 उद्योगों को फर्जी तरिके से संचालन की अनुमति दी हुई है और लगातार इन फर्जी उद्योगों के विस्तार के लिए भी अनुमति देते जा रहे हैं। स्थानीय लोगों की राय लेना भी आप जरूरी नहीं समझतें हैं। लगातार हमारे क्षेत्र अचानक लोगों की मृत्यू हो रही है। 20 वर्ष के नौजवान 40 वर्ष के बूढ़े दिख रहे हैं। पीने को साफ पानी नहीं है। जीविका के लिए रोजगार नहीं है। इन उद्योगों से निकलने वाले कूड़े से लोग लोहे चुन कर अपनी जीविका चला रहे हैं। यहां लोग खांसे तो खखार में काला

डस्ट आता है नाक साफ करें तो काला डस्ट निकलता है। घरों में डस्ट की परत जीम होती है। कपड़े बाहर सूखा नहीं सकते। डेम, तालाब डस्ट के दल–दल बन गये हैं फिर भी पर्यावरण संरक्षण मण्डल को लगता है कि पर्यावरण सुरक्षित है। उद्योग का विस्तार होना चाहिए। हमें मार कर आप उद्योग स्थापित कर रहे है और हमें बताते है कि उद्योगों से हमे फायदा है क्योंकि आपको हमारी किमत मिल रही है, मुझे आप आज जवाब दीजिए आपने कितनी ग्रामसभाओं से आज की जनसूनवाई के लिए चर्चा की है या अनुमति ली है? कितनी ग्रामसभाओं को आपने उद्योग विस्तार के फायदे और नुकसान बताए है? प्रदूषण का माप और ई.आई.ए. रिपोर्ट से आपने कितने लोगों को अवगत कराया है? कितने लोगों को एन.आर.टी.एम.टी. ने रोजगार दिए हैं संबंधित पंचायतों से? अनुबंध के आधार पर एन.आर.टी.एम.टी. ने संबंधित पंचायतों में कितने प्रदूषण नियंत्रक यंत्र लगाए हैं? अनुबंध के आधार पर एन.आर.टी.एम.टी. ने स्वास्थ्य केन्द्र की व्यवस्था संबंधित पंचायतों में की है? अनुबंध के आधार पर एन.आर.टी.एम.टी. ने कितने बच्चों को संबंधित पंचायतों में शिक्षा दिलाने का कार्य किया है? अनुबंध के आधार पर एन.आर.टी.एम.टी. ने खेतों की सुरक्षा में कितना कार्य संबंधित पंचायतों में किया है? अनुबंध के आधार पर एन.आर.टी.एम.टी. ने सी.एस.आर. राशि का उपयोग कितनी संबंधित पंचायतों में किया है और कितना किया है? सड़क दुर्घटना की वृद्धि को रोकने के लिए एन.आर.टी.एम.टी. ने क्या किया है? पीठासीन अधिकारी जवाब दीजिए। आज इस फर्जी जनसूनवाई को रद्द कीजिए, यहीं बंद कीजिए पहले इन सवालों का जवाब लेकर आईये। जिन पंचायतों को आपने प्रभावित बताथा है उन्हीं पंचायत के लोगों को जो यहाँ के स्थानीय मूलनिवासी है यहां आने की व्यवस्था बनाइये अपनी राय देने का अधिकार उनको ही है। लोगों की आई.डी. जांच कीजिए। इसके लिए पहले जनसूनवाई के नियम बनाइये उसके बाद जनसूनवाई करवाईये। हमारी जिंदगी का सौदा आप बाहरी लोगों से नहीं कर सकते। ये अधिकार आपको नहीं है। हमे मार डालने का ये घिनौना षडयंत्र उद्योगपतियों के साथ मिलकर आपने बनाया है। मुझे यह भी बताइये की एन.आर.टी.एम.टी. कंपनी की स्थापना और विस्तार से होने वाले प्रदूषण से मुझे और मेरे परिवार को जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कौन करेगा? इसकी गारंटी पीठासीन अधिकारी आपने ली है क्या? कितनी किमत लगाई है आपने मेरी, मेरे परिवार, मेरे गांव और संबंधित सभी पंचायत के लोगों की? जवाब दीजिए। लगभग 15,000 की आबादी है संबंधित पंचायतों की। जनसूनवाई आप 400–500 लोगों में सफल बना देते है। विस्तार और स्थापना की अनुमति 400–500 भाड़े लोगों को लाकर दे रहे है। जब हम ही नहीं रहेंगे तो ये उद्योग हमारे किस काम के है? मैं पूंजीपथरा की निवासी हूँ मैं अपनी जमीन में ही रहती हूँ खातेदार किसान हूँ मेरा पट्टा मेरे पास है और मेरी 11.311 हेक्टेयर जमीन आपने मेरी सहमती के बगैर जिंदल के नाम पर चढ़ा दी। मेरे पूरे परिवार ने विरोध किया तो मेरे पूरे परिवार को प्रताड़ित किए मेरी माँ को एस.डी.एम. कार्यालय में बंधक बना कर रखे। मेरे साथ गलत किए। मेरे भाई की हत्या को दुर्घटना का केस बना कर खत्म कर दिए। पुलिस एफ.आई.आर. नहीं करती इनकी रिश्वत लेकर बैठ जाती है। इनकी प्रताड़ना से घुट–घुट कर मेरी माँ गुजर गई। भाई नहीं है मुझे मारने की साजिश की जा रही है। मैं अपनी जमीन में फसल लगा नहीं सकती क्योंकि मेरी पूरी जमीन जिंदल के नाम करके सरकार ने मुझे खातेदार किसान ही नहीं माना जबकी मैं आज भी अपनी जमीन पर काबिज हूँ। मैं धान लगाऊं तो सरकार लेगी नहीं, लगा कर रख लूँ तो जमाखोरी का आरोप लगाएगी। जप्त कर लेगी। मेरी नौकरी से मुझे वंचित कर दिया। ऐसे कई किसान पूरे तमनार ब्लॉक में है। एक रूपया जमीन का दिया नहीं जमीन छीन ली, जमीन के पैसे अधिकारी खा गए, भू–अर्जन अधिकारी खा

गए। मैने आवेदन देकर पूछा की मेरी जमीन का पैसा कहॉ है किस कार्यालय में किस अधिकारी के पास जमा है? 02 साल हो गए मुझे कोई जवाब नहीं दिया। इन फर्जी कंपनियों को स्थापित करने और इनके विस्तार के लिए सुनियोजित योजना बनाकर एस.डी.एम. घरघोड़ा और तमनार तहसीलदार ने अनुसूचित पंचायत मे गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को उद्योग कंपनियों के कहने पर फर्जी जाति प्रमाण–पत्र जारी करके दिया उसे सामारूमा पंचायत का सरपंच बनाया। अब उसके माध्यम से सारी फर्जी कंपनियों को स्थापित किया जा रहा है, विस्तार किया जा रहा है जिसके लिए ग्रामसभा की इनको आवश्यकता भी नहीं है। सरपंच गंगा प्रसाद धोबी पर कलेक्टर न्यायालय में प्रकरण अभी लंबित है जिसमें लगातार यह मांग की जा रही है कि इस फर्जी जाति प्रमाण–पत्र धारी सरपंच कर पंचायत में किसी भी कार्य के लिए रोक लगाई जाए अन्यथा अनुसूचित पंचायत के लोगों को जो नुकसान होगा वह उसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकेगी। 06 माह में इस चुनावी याचिका का निपटारा होना चाहिए था और तब तक जनसूनवाईयां नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जिस दिन कलेक्टर कोर्ट में तारीख दी जाती है उस दिन कलेक्टर कोर्ट में आते ही नहीं है। कोर्ट ही नहीं खुलती है। इस याचिका में कोई दस्तावेज पेश करें तो उसे उस दिन की आर्डर शीट में लिया ही नहीं जाता है। फर्जी सरपंच पर जांच के लिए कलेक्टर द्वारा उप जिला निर्वाचन अधिकारी को पत्र क्रमांक 398, दिनांक 14.12.2020 से आदेशित किया गया है आज तक जांच नहीं की गई है। दिनांक 09.02.2021 को मैं उप जिला निर्वाचन कार्यालय में जांच रिपोर्ट लेने गई थी मैने आवेदन दिया तो बताया गया की घरघोड़ा एस.डी.एम. के कहनें पर इस प्रकरण को आगे नहीं भेजा गया उन्होने कहा की इसकी आवश्यकता नहीं है। जबकी फर्जी जाति प्रमाण–पत्र जारी करने पर रायगढ़ एस.पी. को भी लिखित शिकायत दी गई है और एस.सी., एस.टी. एक्ट के तहत् कार्यवाही की मांग की गई है। पूरा सरकारी अमला जिले से लेकर तहसील, पंचायत तक इन अपराधियों को संरक्षण देने का कार्य कर रहा हैं क्यों? क्योंकि आप सबको हमारी जिंदगियों को समाप्त करने के लिए ये उद्योगपति रिश्वत दे रहे। आप सबने संविधान की शपथ लेकर संवैधानिक पद हासिल किया है और उसी संविधान आज बेच रहे है। भारत को बर्बाद करने वाले भारत के पढ़े–लिखे उच्च शिक्षा प्राप्त और उच्च संवैधानिक पदों पर बैठने वाले आप लोग ही हैं। जो देशद्रोही लोग है, संविधान विरोधी है। इस जनसूनवाई को रद्द कर यही स्थगित करें ये फर्जी है। वैधानिक जनसूनवाई के लिए पहले तैयारी कीजिए फिर करवाईये। मैं तारिका तरंगनी (संघर्ष) अपना विरोध दर्ज कर इसे रद्द कराने की मांग करती हूँ।

165. रत्ना राठिया, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
166. सुशीला मांझी, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
167. लता खलखो, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
168. मांझी, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
169. सुशीला, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
170. वर्षा यादव, – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
171. चतुरवती, सामारूमा –
172. सविता, सामारूमा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
173. कांतिबाई, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
174. सुनिता, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।

175. सुक्रिता, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
176. खुशबु चौहान, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
177. सरिता, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
178. रीता, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
179. कौशिल्याबाई, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
180. सुमित्रा, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
181. किरन, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
182. संगिता, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
183. सावित्री चौहान, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
184. रश्मि, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
185. कमला, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
186. गोमति, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
187. पदमा, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
188. तिजमिया, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
189. सविता, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
190. जया, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
191. कुजुर, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
192. रामकुमारी – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
193. मधु चौहान, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
194. बसंती, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
195. मधुलता, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
196. सुमन, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
197. दुर्गेश, सराईपाली – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
198. बन्धु, – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
199. प्रकाश – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
200. संतोष, सराईपाली – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
201. अमरलाल, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
202. द्वारकादास, छर्राटांगर – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
203. निराकार, – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
204. कृष्णकुमार, तराईमाल – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
205. नारायण, सामारूमा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
206. दिनेशकुमार, सामारूमा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
207. सुदर्शन चौहान, तराईमाल – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
208. हेमलाल, तराईमाल – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
209. हर्षचन्द्र, तराईमाल – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।

210. निर्मल, – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
211. संतोष पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
212. छलीराम, तराईमाल – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
213. रतन, तराईमाल – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
214. मोहित, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
215. लक्ष्मीप्रसाद, सराईपाली – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
216. विश्वनाथ, देलारी – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
217. सत्यानन्द्र, पूंजीपरा– मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
218. देलारी – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
219. फुलसाय, भुतपुर्व सरपंच, तुमीडीह – मैं कंपनी का विरोध करता हूँ।
220. राम,पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
221. धरमसिंह, फलीकुण्डा –
222. विजय, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
223. नारायण, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
224. लेखरू, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
225. मालिकराम, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
226. तुमीडीह – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
227. दुलार शर्मा, केराझर, – मै कंपनी का विरोध करता हूं। इसका प्रभाव आस–पास के गांव बुजुर्ग लोगो पर पड़ेगा। आप कंपनी के अधिकारी द्वारा रोजगार के नाम पर ठगी हो रही हैं आप देख सकते है तालाब में पुरी गंदगी हैं पेड़–पौधे में धुल है। मैं पुछना चाहता हूँ आप कितने पेड़–पौध लगाये है। मै विराध करता हूँ।
228. योगेन्द्र, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
229. विनोद, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
230. सनत कुमार, पूजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
231. घासीराम, तराईमाल – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
232. विकास, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
233. बसंत, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
234. जगजीत, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
235. सहसराम, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
236. अभय, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
237. मोहन, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
238. अमरिस, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
239. निल – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
240. कुमार द्वीप – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
241. नेहा, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
242. उषा, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।

243. प्रियंका, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
244. कांति चौहान, आमाडार, – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
245. उर्मिला, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
246. मुंदारो, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
247. प्रेमा, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
248. जानकी, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
249. दीनमति, पूंजीपथरा –
250. रेखा, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
251. उर्मिला, – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
252. उतरा, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
253. आशमति, आमाघाट – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
254. आशा, आमाघाट – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
255. मालति, आमाघाट – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
256. बेलमति, आमाघाट – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
257. सुमित्रा, आमाघाट – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
258. पुष्पा, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
259. सुकमनि, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
260. सुमित कुमार, तराईमाल – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
261. अतुल कुमार, तराईमाल – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
262. सुरेश, आमाघाट – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
263. अरूण, आमाघाट – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
264. सुरेश एक्का, आमाघाट – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
265. जोगीराम, आमाघाट – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
266. विनोद, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
267. शंकर, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
268. नरेश, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
269. धरमलाल होता, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
270. मयाराम, आमाघाट – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
271. कृषण, आमाघाट – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
272. गंगाराम, – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
273. विजय सिदार, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
274. रंजीत साहू, देलारी – मैं कंपनी का विरोध करता हूँ।
275. सोहन, आमाघाट – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
276. पुनीराम, आसमाघाट – तमनार से लाये है।
277. समारू, आमाघाट – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।

278. तीजमति, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
279. पांचोबाई, आमाघाट – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
280. पुरनमति, आमाघाट – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
281. सावित्री, आमाघाट – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
282. राधिका, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
283. संघाई, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
284. हगरीबाई, तुमीडीह –
285. सुकमति, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
286. सुकमनि, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
287. हरावती तुमीडीह – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
288. अनारवती, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
289. जोशी, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
290. निर्मला, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
291. सुनिता मांझी, तुमीडरीह – वायु प्रदूषण को रोकने के लिये वृक्षारोपण करें। मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
292. बीना, – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
293. तुमीडीह – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
294. के.के, गौरमुड़ी – लोगो को लगता यहां प्रदूषण सिर्फ उद्योगो से है, यहां उद्योग के होने से भी लाखो लोग बेरोजगार है यहां उद्योग लगना चाहिए। यहां पानी सस्ता है तेल महंगा है। इराक में तेल सस्ता है पानी महंगा है इस लिये उद्योग की आवश्यकता है। हिन्दु धर्म में पालनकर्ता विष्णु भगवान है यहां लोगो को चलाने वालो उद्योग भी विष्णु भगवान है। वहां वृक्षारोपण कराना चाहिये हम भी वृक्षारोपण कर सकते है। मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
295. कामेश्वर प्रसाद, रायगढ़ – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ। लोगो को रोजगार मिले।
296. रवि यादव, लामीदरहा रेगड़ा – आज मैं इस जनसुनवाई का विरोध करता हूं। यह जनसुनवाई के सभी विभाग के लोग समर्थन में है। जनसुनवाई का अर्थ है लोगो को सुनना, लोगो के समस्याओं को सुनना, लेकिन यहां स्थानीय लोगो को ना लाकर, पैसा देकर बाहर के लोगो को लाया गया है समर्थन के लिये। यहां जशपुर, धरमजयगढ़ के लोगो को गाड़ी भर–भर के लाया गया है। यहा स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क के लिये बोला जाता है तो 10 प्रतिशत मिलता है, यहां सभी धुल–धक्कड़ हम झेलते है और पैसा खरसिया, सारंगढ़ में दिया जाता है। यहां क्षेत्र के लोग पहले 80–100 साल जीते थे आज 50 साल से कम हो गया है। इस जनसुनवाई में किसी भी समस्या का जवाब आपके द्वारा नहीं दिया जा रहा है यह आपका सुनवाई है या जनता का सुनवाई है। यहां से 30–40 कि.मी. दुर यहा का डस्ट जमा है, पानी में मछली मरी होती है। पर्यावरण विभाग से किसी प्रकार का लोगो के हित में कदम नहीं उठाया गया है। यहा सिर्फ कुछ लोगो के नौकरी के लिये किया जा रहा है। ये फेक्ट्रीवासी सफेद कुरता पहन के बैठे है काले धुआ छोड रहे है। यहां डी.एम.एफ. मद में दूसरे क्षेत्र में शिक्षक दिये गये है, यहां नहीं। एक व्यक्ति के शरीर में 10–12

सिगरेट के बराबर धुआ है डॉ. का मानना है। धड़ल्ले से धुआ छोड़ा जा रहा है इस क्षेत्र में कोई पेड– पौधे साफ नहीं है काला है। यहां सभी कंपनी के लिये प्रदूषण हेतु जिला प्रशासन के द्वारा क्या कदम उठाया गया है। जनसुनवाई जनता के लिये होता है। यहा हम सभी को आपराधी, आतंकवादी समझ के चेक किया जा रहा है। यहां कोविड दिखाकर 50 कुर्सी है और यहां कोविड का पालन नहीं किया जा रहा है। पर्यावरण दूषित हो रहा है आपका अन्तरात्मा गवाह कैसे दे रहा है। आप ए.सी. में बैठते है और हम धुल–धक्कड़ में। अगर आप सुनवाई नहीं करेंगें तो आने का क्या मतलब है। पर्यावरण के मिलीभगत में यह सब हो रहा है। यहां जवाब नहीं देना जिला प्रशासन की विपरीत मानसिकता को दर्शाती है। हमारे विधानसभा के कही भी सड़क नहीं बना है और दूसरे विधासभा में सब हो रहा डी.एम.एफ. सें। पर्यावरण को दूषित करने वाले फैक्ट्रीयों को प्रदूषण नियंत्रण यत्र लगाने कहीयें। यहां जितने प्लांट है वहां एक भी प्रदूषण नियंत्रण यंत्र नही है। जिले में दूसरे स्थान में प्रदूषण क्षेत्र में यह क्षेत्र हैं। यहां कितने प्रदूषण नियंत्रण यंत्र लगे है जानकारी दें। एक भी कंपनी में प्रदूषण नियंत्रण हेतु यंत्र नहीं है उन पर कार्यवाही हो, नही तो हम नहीं उठेगें यहां सें।

297. विरेन्द्र चौहान, – मै सभी कंपनियों का विरोध करता हू। यहां प्रशासन प्लांट के खिलाफ नहीं जाना चाहती है। देलारी के गांव, तालाब, कुंआ को जाकर चेक करे हम कितना प्रभावित है। यहां उद्योग कितनो को नौकरी देते है, कितने को दी है। जवाब के लिये हम बैठेंगे। स्थानिय लोगो से कभी पुछा गया है कितने प्रभावित है। हम पढ़े–लिखे बेरोजगार है, हम भी कुछ करना चाहते हैं, ये सिर्फ अपना जेब भर रहे है। जिसके पास आज एक प्लांट था, आज उनके पास 10 प्लांट हो गया है और हम कल भी गरीब थे, और आज भी। गांव में किसी का भी घर में जाकर देखे कितना मोटा डस्ट की परत है। रायगढ़ में रहते है आप लोग, यहा रहे तो पता चले कि कितना तकलीफ में हम है। जो पहले समर्थन कर के गये मैं आज से पहले कभी नहीं देखा इस क्षेत्र में, क्योकि वो सिर्फ 200 में बिक के आये है। वो सिर्फ बाहर से काम करने आये है और उनको रख कर कंपनी वाले काम करवाते है अगर मर भी गये किलन से गिरकर या फेक्ट्री में तो कोई मुआवजा नही होती। मेरी मोटर साईकल बाहर खड़ी है आप गेरवानी तक बाईक में जाये आपको पता चल जायेगा। प्लांट वाले 10 साल पहले इस क्षेत्र के हालत पहले से बहुत बत्तर हो गया है। आज प्रदूषण के मामले में रायगढ़ दूसरे स्थान पर है और उसके जिम्मेदार आप है, जो कुर्सी में बैठ के आप 02–04 प्रभावित करके। एक गांव के 10–15 व्यक्ति प्लांट में काम कर रहे है बाकी लोग प्रभावित है, आपको क्या पता। आप डायरेक्ट प्लांट का एन.ओ.सी दे देते। आप देलारी एक बार आये और देखे यहां के प्रदूषण को वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण से। हमारे घरो में 10 इंच का डस्ट परत जमा रहा है। अधिकारी आते है, चेक करते है और चले जाते है दो दिन प्लांट में सुधार होता है फिर वही माहौल हो जाता है। इसकी शिकायत हम कलेरक्टर से करे या कही करें सिर्फ आश्वासन ही मिला है। इसका कोई फायदा नहीं हुआ। यहां जल/वायु प्रदूषण हो रहा है इसकी जिम्मदारी कौन लेगा। यहां आने से पहले कम्पनी का मुआयना किया गया है। यहां किसी का आधार कार्ड चेक नहीं किया जा रहा है। यहां आधे से ज्यादा लोग ट्रेक्टर गाड़ी में भरकर लाया गया है और उसे कहा गया है नाम, गांव और समर्थन बोलने को कहा गया है। वो जशपुर में काम करने वाले है उनको क्या मालूम यहां का। मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का विरोध करता हूँ।

298. कृष्णारण एक्का, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।

299. अवध डनसेना, भेलवाटिकरा – मै प्लांट का विरोध करता हूँ।
300. बबलू, देलारी – मैं कंपनी का विरोध करता हूँ।
301. अंकित पटेल, सराईपाली – मैं कंपनी का विरोध करता हूँ। यहां आस–पास के वृक्ष, जल, वायु, वातावरण सब प्रदूषित हो रहे है। जिससे हमारे स्वास्थ्य पर खतरा बड़ रहा है।
302. मुरलीधर – मैं कंपनी का विरोध करता हूँ।
303. अशोक, अमलीडीह – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
304. नाथुराम, बड़गांव – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
305. सुरजसाय, देलारी – मैं कंपनी का विरोध करता हूँ।
306. सुभाष, देलारी – मैं कंपनी का विरोध करता हूँ।
307. उदय – मैं कंपनी का विरोध करता हूँ।
308. विजय साहू, देलारी – मैं कंपनी का विरोध करता हूँ।
309. संतोष, देलारी – मैं कंपनी का विरोध करता हूँ।
310. – हमारे क्षेत्र के रोजगार लोगो को रोज दिया है। एन.आर. समाजिक कार्य में सहयोग देता है। मेसर्स एन. आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
311. प्रेम यादव, खड़कपुर – विरोध नहीं पूर्णजोर विरोध है। हमारे क्षेत्र में हर प्रकार का प्रदूषण फैला हुआ है। इसका कारण एन.आर. इस्पात है।
312. महाबली, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
313. ओमकार – मैं कंपनी का विरोध करता हूँ।
314. लवकुमार, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
315. सिदार – मैं कंपनी का विरोध करता हूँ।
316. पंचराम, खड़कपुर – मैं कंपनी का विरोध करता हूँ।
317. सुनील – मैं कंपनी का विरोध करता हूँ।
318. .... – मैं कंपनी का विरोध करता हूँ।
319. जय मंगल, – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
320. सालिकराम साहू, – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
321. शिशु, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
322. सुमन, – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
323. प्रेमकुमार – मैं कंपनी का विरोध करता हूँ।
324. कृष्ण, – मैं कंपनी का विरोध करता हूँ।
325. संजय, – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
326. शंकर, आमाघाट – मैं कंपनी का विरोध करता हूँ।
327. संधी, आमाघाट – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
328. सुभाष, आमाघाट – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
329. प्रवीण, – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
330. सिंधु, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।

331. सरस्वती, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
332. बीना, – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
333. किरण, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
334. शांति, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
335. ननमति, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
336. संजिता, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
337. अंजली, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
338. द्वीपफुल, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
339. तराईमाल –
340. सुकुबाई, तराईमाल –
341. सोनमति, तराईमाल – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
342. आनंदकुमारी, आमाघाट – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
343. सुमन, आमाघाट – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
344. राजा, आमाघाट – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
345. भरतिया, आमाघाट – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
346. छाया, आमाघाट – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
347. तिग्गा, आमाघाट – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
348. कैलाश, आमाघाट – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
349. लक्कास, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
350. निरोबाड़ा, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
351. अंजीर टोप्पो, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
352. केदारनाथ, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
353. विनय, तमनार – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
354. सुरेश, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
355. मनोज राव, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
356. ओमकार तिवारी, रायगढ़ – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ। कंपनी ने कई युवाओं को रोजगार दिया है। जयसिंग तालाब का निर्माण करना, भैसपाली में गौशाला का व्यवस्था कराना, रायगढ़ असर्फी देवी अस्पताल में योगदान देना।
357. योगेश, – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
358. उज्जेन कुमार, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
359. अतुल, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
360. विशाल चौहान – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
361. ठाकुरराम, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।

362. शिवचरण, गौरमुड़ी – प्लांट लग रहा, लगने वाला है, लगया गया और आदिवासी का जमीन फस गया तो आदिवासियों को जमीन का पैसा मिलना चाहिए। मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।

363. त्रिलोचन सिदार, गौरमुड़ी – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ। जितना उद्योग होगा उतना फायदा होगा।

364. जय प्रकाश, – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।

365. विनोद चौहान, रायगढ़ – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।

366. कमल कुमार, रायगढ़ – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।

367. दयाराम, – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।

368. प्रमिला, उदयपुर – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।

369. सहोद्रा, उज्जवलपुर –

370. सोनका नायक, उज्ज्वलपुर – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।

371. सुमन, – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।

372. राधा, उज्जवलपुर – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।

373. कौशिल्या कुमारी, उज्ज्वलपुर – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।

374. काटोबाई, उज्जवलपुर – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।

375. श्यामबाई, तराईमाल – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।

376. असिमा, तराईमाल – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।

377. रोमति, तराईमाल – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।

378. बिहानी तराईमाल – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।

379. रूखनी, तराईमाल – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।

380. कुंती, तराईमाल – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।

381. समरी, तराईमाल – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।

382. जलपरी, तराईमाल – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।

383. नीलू कुजुर – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।

384. रेनु – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।

385. रजनी – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।

386. कमला बाई, तराईमाल – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।

387. खेस, तराईमाल – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।

388. सोनाराठिया, तराईमाल – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।

389. चन्द्रिका, तराईमाल – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।

390. रीता, उज्जवपुर – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।

391. सावित्री लकड़ा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।

392. ज्योतसना, – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।

393. कल्पना, उज्जवलपुर – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।

394. धनवा लकड़ा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
395. नसिमा, उज्जवलपुर – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
396. सत्यवति, उज्जवलपुर – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
397. कुंती, उज्जवलपुर – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
398. शशिकला, उज्जवलपुर – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
399. लक्ष्मी कसेर, उज्जवलपुर – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
400. रसिदा आलम, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
401. मालती, – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
402. सुनिता, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
403. जमूना – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
404. रेनु प्रधान – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
405. सेतवति, तराइमाल – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
406. मीना, तराईमाल – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
407. यादमति, तराईमाल –
408. देवति, तराईमाल – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।
409. सुकान्ति, तराईमाल –
410. रानी, तराईमाल, –
411. आकाश शर्मा, रायगढ़ – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ। काफी बेरोजगार को रोजगार मिला है।
412. आकाश नायक, उज्जवलपुर – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
413. रतिया – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
414. सोन, तराईमाल – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
415. मेहत्तर, तराईमाल – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
416. सतराम सिदार , तराईमाल – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
417. केशव, तराईमाल – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
418. लोकनाथ, तराईमाल – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
419. अमोस, तराईमाल – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
420. रमेश, पूंजीपथरा –
421. बुटरूराम, तराईमाल– मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
422. दौलत, रायगढ़ – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
423. धनश्याम यादव, उज्जवलपुर – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
424. नरेश घोय, तुमीडीह – मै कोलतापारा का निवासी हूँ। मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ। जैसे उद्योग आया है सब को नौकरी मिला है। यहा विनय एक अच्छे पोस्ट में काम करता है। यहा जितने भी उद्योग है उनके पानी से किसान एक फसली, दो फसली खेती करते है। यहां पैसा मिला है उससे किराया लगा कर पैसा कमाया जा रहा है। वृक्षारोपण हर आदमी का अधिकारी है।

425. दिलीप प्रधान, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
426. पप्पु प्रधान, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
427. देवप्रति, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
428. अनिल प्रधान, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
429. उमेश कुमार, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
430. डीग्रीलाल प्रधान, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
431. दशानन्द भोय, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
432. राजेश सिदार, रायगढ – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
433. चन्दन प्रधान, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
434. प्रसमन प्रधान, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
435. प्रदीप, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
436. प्रदीप प्रधान, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
437. हरिश प्रधान, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
438. समारू, तराईमाल – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
439. गुनी, तराईमाल – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
440. गणेश, – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
441. राजेश गुप्ता, सराईपाली – मैं आप लोगो से बात रखना चाहता हूँ। मेरा गांव छत्तीसगढ़ के सबसे खतरनाक बिमारी जो है सिलिकोशिश, उस सिलिकोशिश बीमारी से मेरे यहा से दर्जनों लोगो की मौत हो चुकी है और कल एक बुजुर्ग महिला शांतिबाई का भी मौत हो चुका है सिलिकोशिश बीमारी से। मुख्यमंत्री जी से भी हमने आवेदन दिया था और जॉच भी हुआ है, किसी प्रकार का कोई इलाज नहीं हुआ है और इस परिस्थिति में जिस तहर से पाल्यूसन इतना बड़ रहा है, सिलिकोशिश की मात्रा बड़ रही है जानवर की मात्रा बड़ रही है, अलग–अलग बीमारिया हो रही है उनसे लोगो का जान जा रहा है उनके हेल्थ के इशु को उठाने वाला कोई नहीं है। मैं मान्नीय पीठासीन अधिकारी से पुछना चाहता हूँ कि इस प्रकार की पाल्युशन की स्थिति है इस स्थिति में इस प्रकार जनसुनवाई का आना किस आधार पर सच है। सही है आप उस पर जवाब दीजिए। कुछ दिन पहले हमारे क्षेत्र में जो 06–07 उद्योग है उन उद्योगो की वजह से हमारे गांव का जो जमीन है, जल है, वातावरण इतना प्रदूषित हो गया है कि जीने लायक हमारी वहा स्थिति नहीं है। हमारा जो संवैधानिक अधिकार है आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 में साफ–साफ लिखा है कि हम जी सकते है, अपने आप में विश्वास के साथ जी सकते है। हमारे आत्मविश्वास के साथ जो जीने का अधिकार है उस अधिकार का हनन आप लोगो के द्वारा किया जा रहा है। हम चाहते है कि हमारे जो अधिकार है उसको आप दे। हम अपने अधिकार के लिये लड रहे है, संघर्ष कर रहे है। इस जो प्रजातांत्रिक देश है जो उसमें संविधान इतना महत्वपूर्ण अधिकार है जो उस अधिकारों को पाने के लिये ऐसा क्यों होता है कि हमको संघर्ष करना पड़ता है। अभी मैं 03–04 रिपोर्ट भी लाया हूँ इसमें सिलिकोसिस के पेसेंटो का नाम है यहा जिला में जो मेडिकल कॉलेज है वहा पर इलाज करने की व्यवस्था की जाती है लेकिन आज तक ना तो इनके लिये दवाई की व्यवस्था की गई है और ना ही उनके पूर्नवास की व्यवस्था की गई है तो इस प्रकार की स्थिति है। मैं आपसे गुजारिस करना चाहता हूँ कि तत्काल इन लोगो को मुआवजा दिया

जाये, उनके स्वास्थ्य के लिये काम किया जाये और उनके हेल्थ के लिये सराईपाली में ही व्यवस्था किया जाये ताकि वो लोग अपना जीवन यापन कर सके। हमारे गांव के आस–पास जो 05 कंपनिया है, नवदूर्गा, सुनील इस्पात, रूपानाधाम, एन.आर. इस्पात और रायगढ़ इस्पात ये पॉचों कंपनिया उस क्षेत्र में है और इनका पाल्यूसन इतना ज्यादा बड़ गया है कि हमारे निस्तारियों के लिये एक मात्र जो तालाब है सराईपाली में उस तालाब कि सैकड़ो की तादात में मछलियां मर रही है और उनका सुध लेने वाला कोई नहीं है। पर्यावरण विभाग में हम आवेदन भी देते है तो सिर्फ जॉच होता है मैं वहा का सैम्पल लेजाकर मैं आपही के विभाग में कई बार दे चुका हूँ लेकिन उसका रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया है। उसका रिपोर्ट हमे जल्द से जल्द दिया जाता तो हमको पता चले कि हम किस स्थिति में जी रहे है, किस पानी से हम नहा रहे है, उस पानी में क्या चिज है जिससे हमको पता चले और हम इलाज करवा सके। मैं आपसे गुजारिस करता हूँ कि आप तत्काल इस पर कार्यवाही करें और जॉच रिपोर्ट हमारे सुपुर्द करें ताकि हम अच्छे से जी सके। ये जो मछलिया मर रही है उसके लिये सिर्फ एक बोर खोदवा देना या कंपनी को नोटिस देना क्या यह सही है, क्या यह हमारे जीवन के लिये उसक कंपनी को चंद दिनों के लिये बंद करना उसके बाद फिर चालु कर दे। उसके लिये आप क्यो ई.एस.पी. चालु नहीं करवा रहे है, ई.एस.पी. की जॉच क्यों नहीं कर रहे है, मानीटरिंग के लिये आप लोगो ने कई प्रकार के दावे किये है कि कंपनियों में हम लोगो ने मशीने लगाई है लेकिन उसका जॉच होता क्यों नहीं है और जॉच होता भी है तो उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता है। मैं आपसे गुजारिस करता हूँ कि जो–जो कंपनिया है उस कंपनियों के गेट के पास बोर्ड लगाया जाये कि जो बीमारिया हो रही है जो वहा से प्रोडक्सन निकल रहा है उसकी मात्रा वहा पर लिखी हो ताकि हमको पता चले कि हम किस स्थिति में जी रहे है लोगो को जानकारी हो। ग्रामसभा विशेष महत्व है हमारा क्षेत्र पेशा कानुन क्षेत्र है, पेशा कानुन में हमको अधिकार है कि हम अपनी बाते रख सके हमको अधिकार है कि हम कंपनी को रखे या ना रखे। यहां पूंजीपथरा में कंपनी खुल रही है उसका विस्तार हो रहा है एन.आर.टी.एम.टी. और एन.आर. की ही कंपनी हमारे यहा सराईपाली में स्थित है लेकिन जो ई.आई.ए. रिपोर्ट होता है उसमें आप ही लोगो के द्वारा कहा गया है कि 10 किलोमीटर के रेडियस में ये रिपोर्ट जाना चाहिए, लेकिन क्या कारण है कि हमारे पंचायत में ई.आई.ए. रिपोर्ट नहीं पहुंचा। मैं आपसे यह सवाल करता हूँ कि आप बताये कि हमारे गांव में ई.आई.ए. रिपोर्ट क्यों नहीं भेजा गया। हम किस आधार पर इस कंपनी को समर्थन करें या किस आधार पर इस कंपनी का विरोध करें। आप हमे बताईये। ये जो हमारा सवाल है हमारे गांव के सभी लोग सवाल कर रहे है। कुछ कारणों की वजह से लोग नहीं आ पाये। मैं चाहता हूँ कि इसका जो जानकारी है आप हमें तत्काल दे ताकि हम लोगो को भी पता चले क्योंकि पेशा कानुन में सरकार के द्वारा ही साफ–साफ लिखा गया है कि कोई भी कंपनी आये या किसी भी प्रकार की परियोजना लगती है तो उसकी सारी जानकारी पंचायत में होनी चाहिए, पंचायत को सुपुर्द करनी चाहिए लेकिन आज तक नहीं किया गया है। अनेक प्रकार की जनसुनवाईया होती है जो फर्जी होती है। मैं साफ कहना चाहता हूँ कि ये जो फर्जी जनसुनवाईया होती है उसे रद्द किया जाये जिससे हम अपना जो जीवन यापन है जो संवैधानिक अधिकार है उसको पा सके। दूसरी बात हमारा यह क्षेत्र है हाथी प्रभावित क्षेत्र है। यहा सुरू से लेकर सैकड़ो लोगो की जाने जा चुकी है। पर्यावरण विभाग और जो वन विभाग है उन्होने ही कार्यवाही की है कई लोगो को जेल में भी डाला है और कई लोगो से जुर्माना भी वसुला है। यहा पर लगभग 40 लाख के आस–पास वनो के संरक्षण, हाथियों के संरक्षण और वन जीवों के

संरक्षण के लिये खर्चा होता है फिर जो ई.आई.ए. रिपोर्ट है उसमें क्यों नहीं लिखा जाता है कि इस क्षेत्र में वन जीव है, हाथी है इसका रिपोर्ट क्यों नहीं दिया जाता है। आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। हमारा जो क्षेत्र है लगभग यहा 40 गांव आते है, लगभग 40 स्कूल है, 80 आस–पास आंगनबाड़ी है और जो आप पूंजीपथरा देखे तो पूंजीपथरा के जो कंपनी है कंपनी के जस्ट बगल में आंगनबाड़ी और प्राथमिक स्कूल है वहा के स्वास्थ्य के लिये बच्चों की चिंता क्यों नहीं की जाती है। यहां केंसर की मात्रा बड़ रही है और बीमारियों की संख्या बहुत ज्यादा बड़ रही है। रोड़ की अगर बात करो तो हमारा जो क्षेत्र है यहा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत् इस क्षेत्र में रोड बनाया गया है सिर्फ हमारे आवागमन के लिये लेकिन यहा भारी मात्रा में ओवर लोड गाडिया चलती है जिससे इस क्षेत्र का जो रोड है वह जर्जर हो जाता है और उस मांग को लेकर हम कंपनियों के पास जाते है तो कहते है कि कंपनी इस पर कुछ नहीं करेगी, सरकार को हम टेक्स पटाते है सरकार इस पर काम करेगी और सरकार इसके लिये अपवहन करेगी। ऐसा क्यों होता है जब नुकशान कोई और कर रहा है और दूसरी तरफ सरकार को ये सब दाल दिया जाता है यें बहुत गलत है मैं चाहता हूँ कि जो आदमी उपयोग करता है उसी को उसका भरपाई करना चाहिए और जो कानुन व्यवस्था है उसमें साफ–साफ होता है कि सरकारी सम्पत्ति को जो नुकशान करता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है तो ये जो कंपनिया है उसको क्यों जेल में नहीं डाला जाता है। जबकि वें सरकारी सम्पत्ति है उसका दोहन कर रही है, उसका सोषड़ कर रही है और उसका भरपाई नहीं कर रही है। मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ कि ये जो कंपनिया है उस पर केस किया जाये, एफ.आई.आर. हो और जो जिम्मेदार है उस पर कार्यवाही हो। हमारा जो यह क्षेत्र है मैं 05 ऐसे लोगो का नाम लाया हूँ जिनको सिलिकोसिस बीमारी नहीं है फिर भी वे लगभग 10 साल से बीमार पड़े हुये है और जब लोग उसका जॉच करवाने जाते है तो उसका रिपोर्ट हमको नहीं दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है हमको अगर उनकी जानकारी मिल जाती तो हम उनका इलाज करवा सकते। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि अगर इस प्रकार की कोई स्थिति होती है, इस प्रकार का पाल्यूशन होता है तो यह जनसुनवाई रद्द होनी चाहिए और एन.आर.टी.एम.टी. को इसका मैं विरोध करता हूँ क्योंकि इसका एक शाखा गौरमुड़ी में है और वह हमारे ही पंचायत में है। अगर आप जाकर देखे तो एन.आर. के जस्ट बगल में जो पीछे साइड गौरमुड़ी पड़ता है तो पुरा पानी जो डस्ट युक्त पानी है वो लोगो के खेतो में जा रहा है और लोग उम्मीद करते है की उस खेत से फसल होती है। लेकिन उसमें ली होता है जो फसलों मे जाकर लोगो के स्वास्थ्य को हानी पहुचाता है लेकिन चंद लोग ऐसे है जो उसको अपना लाभ समझते है उस जगह पर खेती करते है वो यह नहीं जान पाते कि उस ली से उसके शरीर को प्रभाव क्या पड़ेगा और यहा आकर समर्थन करते है कि हम कंपनी है जो उसका वेस्ट पानी है वह हमारे खेतो को उपजाउ बना रहा है। लेकिन इन लोगो को समझना चाहिए उनके सेहत के लिये उनके बच्चों के सेहत के लिये उनके काम के सेहत के लिये कितना हानीकारक है। ये समझना पड़ेगा। मैं आपसे यह गुजारिस करता हूँ कि इस जनसुनवाई को रद्द किया जाये। धन्यवाद।

442. नागेश, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
443. अनुप, पूंजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
444. कन्हैया, तराईमाल – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
445. मुकेश, तराईमाल – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।

446. सोनकर, पूजीपथरा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
447. विकास, तराईमाल – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
448. कृष्णाप्रसाद, तराईमारल – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
449. उदयराम, तराईमाल – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
450. रोहित कुमार, तराईमाल – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
451. सूरज कुमार, – मैसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
452. दौलत कुमार – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
453. अभयराज, तराईमाल – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
454. करन सोनी, तराइमाल – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
455. पिन्दुराम, तराईमाल– मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
456. नोहरसाय, तराईमाल – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
457. राजकुमार, – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
458. राकेश, तुमीडीह –
459. मुकेश, तराईमाल –
460. विरेन्द्र सोनी, तराईमाल –
461. रणसिंह, तराईमाल –
462. गुरवारू, तराईमाल – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
463. हरिशंकर, तराईमाल – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
464. नर्सिंग सिदार – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
465. दुर्गेश कुमार, तराईमाल – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
466. सविता रथ, जन चेतनामंच, रायगढ़ – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इंडिया प्राईवेट लिमिटेड की एस.आई.ए. पर बात रखेंगे और थोड़ा सा ई.आई.ए. पे बात रखेंगे कि क्यों हम इस विस्तार को देना चाहे या ना देना चाहे इसके लिये जिला प्रशासन का जिम्मेदार अधिकारियो का मैं ध्यानाकर्षण करना चाहती हूँ। इसमें हम यह देखे कि छत्तीसगढ़ में जो 42 प्रतिषत वनो की स्थिति है यदि हम वनो को देखे किस तरह से बेतहासा बड़े–बड़े परियोजनाओं के साथ जिस तरह के जंगल कट रहे है इनमें से एक बेहद जो महत्वपूर्ण चिज है वो ई.आई.ए. पर छुट जा रही है। वो छुट जा रही है उसको कहा जाता है सराई का पेड़ जो इसी मध्य भारत में लगा हुआ है जो इस तरीके के पर्यावरणीय स्थति में वो सास नहीं ले पा रहा है, और आपको बता दू जिसको सराई का पेड़ कहा जाता है ये कम्मोडिया फिलिपिस से लेकर के आपका आसाम से लेके आपका अमरकंटक जंगल तक एक ही रूप में है औन उन पेड़ की स्थिति जो है उनका वंसज है कि वो थोड़ा सा उसका नर्सरी हम नहीं लगा सकते और ऐसे उद्योगो के बेतहासा स्थापनाओं, विस्तार में कही ना कही ये जान बुझकर स्थानिय जो प्राकृतिक संसाधन है उनके ऐसे हाल होंगे जिस तरीके से कटाई हो रही है, जिस तरह से उनका उपज कम हो रहा है वो यहा चिंतनीय है। इस बात के साथ ही मैं सुरूवात करना चाह रही हूँ जनसुनवाई में अपने प्रजेंटेशन का। ये एन.आई.टी.एम.टी. इंडिया प्राईवेट लिमिटेड जिन बिन्दुओं के कारण यह जनसुनवाई वास्तव में होनी ही नहीं चाहिए सरकार को आयोजन करना ही नहीं चाहिए। उसके लिये बेहद महत्वपूर्ण बिन्दु अगर देखे कि केन्द्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना 14 सितम्बर

2006 के तहत किसी भी कंपनी के आवेदन करने के 45 दिवस के भीतर राज्य शासन को करना चाहिए जो की इस कंपनी के विस्तार के आवेदन का 45 दिवस के अंदर यह जनसुनवाई नहीं हो रही है बल्कि यह जनसुनवाई हो रही है अगर हम देखे तो 12–13 महिने का अंतर हो गया है। और इसके लिये आपको एस. आई.ए. बनाना पड़ेगा दो चिजो पे अध्ययन जायेंगे आज की जो जनसुनवाई है उसमें। बहुत ज्यादा वही–वही चिजो को हम आपको रिपिट करे उससे बेहतर है कि मैने लिख कर लाया है कि चलिये आपको दे देते है कि आप अध्ययन करे। मेरे को उम्मीद है कि आप पढ़े होंगे ई.आई.ए. और ई.आई.ए. की बारिकियों को भी आप देखे होंगे। ई.आई.ए. कब बना ई.आई.ए. बनाने से पहले एस.आई.ए. बनाना जरूरी समझा कंपनी ने, क्या सरकार ने जरूरी समझा कि एस.आई.ए. जब तक जमा नहीं होगा अनुसुचित पेशा कानुन के तहत अगर सामाजिक प्रभाव आकलन की रिपोर्ट ग्रामसभा से पेशा कानुन के तहत पास नहीं होगा तब तक इनको अधिकार ही नही है ई.आई.ए. जैसे महत्वपूर्ण बिन्दु पे रिसर्च करे और रिसर्च की रिपोर्ट दी है। ये बात महत्वपूर्ण है कि ऐसे जनसुनवाईयों का आयोजन जिला प्रशासन राज्य को दे दे। 45 दिवस के बाहर जितनी भी जनसुनवाईया है वो राज्य सरकार के द्वारा लोगो की कमेटी बनने के बाद जनसुनवाई आयोजित करती है, यह नियम है यह हमारे देश के संविधान में लिखा है, ये हमारे पर्यावरणीय नियमो मे है अगर आपको जानकारी होगा तो आपको बता दूंगी आज नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के कुछ आदेशों को देखे उसमें स्पष्ट रूप से रायगढ़ के ही मुद्दो को हमारे द्वारा ले के गये थे उसमें स्पष्ट कहा है कि 45 दिवस के अंदर अगर राज्य सरकार नहीं करवा पा रही है इसी कारण वश पेशा कानुन के तहत ग्रामसभा में 03 लोगो की कमेटी के साथ अगर वहा जॉच नहीं हुई और एक तिहाई हिस्सा महिलाओं का लेते हुये अगर वहा से अनुमति नहीं मिला है पेशा कानुन के तहत तो खास करके इस अंतराष्ट्रीय महामारी कोरोना काल में ऐसे जनसुनवाईयों का आयोजन करना बेहद गंभीर मुद्दो को गंभीर लापरवाही के रूप में इन मुद्दो को उठाया जाना बेहद चिंतनीय है इन जनसुनवाईयों को आपको स्थगित करनी ही चाहिए। ये हालात सुधर जायेंगे तो हम विस्तार कर लेंगे। इसके अलावा हम देखे तो जलवायु परिवर्तन के लिये पूरी दुनिया चिंतित है और हमारे सरकार के द्वारा 2015 में एक समझौता किया गया था। उसको कहा जाता है पैरिस समझौता 2015 से लेकर 2030 तक किसी भी किसम के कार्बन डाईआक्साईड के मामलो में कटौती करेंगे। हम जो अपनी बात रख रहे है यहा हम सरकार की ही बातो को याद दिलाने की कोशिस कर रहे है कि याद करे आपके उपर पुरी दुनिया का नजर है। याद रखे आप जितनी अनुमतियां दे रहे है उन अनुमतियों में 2015 के पेरिस समझौता को याद करे जिसे एन.डी.सी. बोला जाता है और आपको बता दूं कि इसमें हमारे द्वारा हमारे देश के सरकार के द्वारा समझौता किया गया है उस समझौते में 35 करोड़ क्यूबीक टन कार्बन कम करने की बात 2030 तक लक्ष्य रखा गया है। क्या हम उस लक्ष्य के करीब है अगर नहीं है तो हमारे प्रयास क्या होने चाहिए। इसमें हमारे कौन से तौर–तरीके होंगे जिससे हमारी समझौता जिसमें पुरी दुनिया की नजर हैं और चिल्ला–चिल्ला के आज वो बोल रहे है कि यहा पर प्रदूषण है, यहा पर मछलिया मर रही है, हमारे पीने का पानी खतम हो रहा है, हमारी कृषि योग्य भूमि खतम हो रही है, हमारे सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है तो किस आधार पर हम विस्तार को दें। हम विस्तार को कैसे सोचे। जिला प्रशासन और राज्य सरकार को एक गंभीर तरीके से कदम उठाने होंगे, हम एक रस्म निभाने नहीं आये है, ये रस्म अदायिगी नहीं है। आपके और हमारे बीच की आप आयेंगे हमारी व्यवस्था देंगे अपनी बात रखने का और हम अपनी ई.आई.ए., एस.आई.ए, से संबंधित मुद्दो पर बात रखेंगे। ये रस्म अदायिगी लगभग हमको

बंद कर देनी चाहिए ना तो आपको इच्छा है मेरे को सुनने का मुझे इच्छा है आपको सुनाने का। मजबुरी है क्यों कि हम यहा के प्रभावित है, मै स्थानिय हूँ यहा के महिलाओ, बच्चो के स्वास्थ्य, रोजगार जैसे हालातो को देखते हुये हमे अपनी बात रखनी है लेकिन उस ओर राज्य प्रशासन, जिला प्रशासन किस हद तक गंभीर है ये बेहद खतरनाक चिज है कि आप आये दिन एक जनसुनवाई है पिछले महीने 03 जनसुनवाई, आज की जनसुनवाई, 05 तारीख की जनसुनवाई, 10 तारीख की जनसुनवाई, और 12 तारीख की जनसुनवाई छाल में होनी है कितना विकास करेंगे आप और यह विकास किसके लिये और किस किमत पर, आप विकास कर रहे है अपने खुद के बनाये हुये नियमो, कानुनो का उल्लंघन करते हुये और स्थानिय जितने भी लोग है क्या आप समझ पा रहे है जिस तरीके से मैं ये जनसुनवाई में 02 घंटा पहले से यह अध्ययन करने के लिये बैठी हूँ जो महिलाये इस परियोजना के बारे में बात रखने आई है क्या उनको वो चिजे स्पष्ट रूप बताई गई है किसकी नैतिक जिम्मेदारी थी, वास्तव में इसकी नौतिक जिम्मेदारी जो थी वो जिला प्रशासन की थी, व्यापक पैमाने पर प्रचार–प्रसार का नही होना यह इस बात का संकेत है कि आप लोगो को या तो आंधा–अधुरा बता रहे है या प्रशासन खुद कन्फ्यूज है, खुद अंधेरे मे है कि क्या करे, क्या बोले, पढ़ने का समय नहीं है, क्या लिखा है रोज एक जनसुनवाई हो रही है, रोज एक ई.आई.ए. हो रही है, उस ई.आई.ए. का भी क्या है पिछले 10 साल से एक ई.आई.ए. चल रही है, उसी ई.आई.ए. की कॉपी पेस्टिंग लगाया जा रहा है केवल जगह और कंपनी का नाम बदला जा रहा है। हम तो कह रहे है कि इस ई.आई.ए. को आप स्वयं देखीये पिछले 10 साल के ई.आई.ए. के साथ जोड़िये, तो सिर्फ कॉपी–पेस्ट करना, अपने कर्तव्य का इतिश्री कर देना और कुछ लोगो के लिये ये बता देना और अपनी बात रख दीजिए, यह जनसुनवाई जो है वोटिंग नहीं है, समर्थन या विरोध का कोई मतलब ही नहीं है, उसमें कारण पुछा जायेगा क्या कारण पुछा जायेगा आपने स्थानितय भाषा में जो ई.आई.ए. का जो समरी रिपोर्ट है हालांकि यह ड्राफ्ट ई.आई.ए. है। यह ड्राफ्ट ई.आई.ए. इसमें बहुत सारे कमियों को ऐसे जनसुनवाईयों के बाद सुधार करने की संभावना के कारण यह जनसुनवाई होती है, यह फाईनल ई.आई.ए. नहीं है ड्राफ्ट ई.आई.ए. है फिर भी ये जो है आप ही समझा दीजिए रेड्डी सर। आपको भी पता है इस ई.आई.ए. में क्या सुधार सकते है, क्या कमिया रही है और क्या प्रभाव आने वाले जो हम 2015 में समझौता कर आये है पेरिस समझौता उसका 2030 तक क्या असर होगा इस पर कोई कार्ययोजना बनी है अभी। इतने सारे लोग फ्लाई ऐश यहा से, कितने कोयला जलेंगे, फ्लाई ऐश इसमें डिस्चार्ज होगा, फ्लाई ऐश को कहॉ–कहॉ रखने की बात होगी, केलो डेम परियोजना की स्थिति क्या है और लगातार सतत् विस्तार के बाद क्या होगी इनत माम सवालो को अगर स्थानिय लोगो को समझ नहीं है अभी तो ऐसे में जनसुनवाई को तब आयोजित सरका को करनी चाहिए जब इमसे स्थानिय लोगो को, बोलने वालो को एक समतुल्य रिपोर्ट आपकी बन सके। एक तरफ बहुत विद्वान रेड्डी साहब जैसे लोग बैठे है और हमरे जैसे जो सीधे प्रभावित है वे लोग है तो पहले हमको पढ़ने दीजिए सर, हमको समझने दीजिए, हम तक सुचना नही आई है क्या हो रहा है स्थानिय भाषा में ऐसा कौन सा प्रयास किया जाये जिससे लोग समझे। वो क्या राय देंगे, उनकी राय की क्या अहमियत है। हा, नही इसमें क्यों नहीं है ये जनसुनवाई स्पष्ट रूप से पर्यावरणीय लोकसुनवाई हो रही है हमारे पर्यावरण पे क्या असर होगा। इस कितने प्रचार–प्रसार के उपाय आप लोगो के द्वारा किया गया। सरकार यहा पर न्यायाधीस के रूप में बैठी है तो ये जो सीधा–सीधा सरकार को देखना चाहिए कि हम किसके प्रति न्याय कर रहे है, किसके प्रति अन्याय कर रहे है। हमें कम से कम बराबरी पनाह तो लेकर आना चाहिए। जिला

प्रशासन को भी बोर हो करके, मुछ धोकर के आना है सायद पिछले जनसुनवाई में लगा कि हम लम्बी बात रखते है तो उन्होने कही पर कहा है हमउ ग जाते है सर दर्द देता है तो क्या करे आप ही ने तो जिम्मेदारी ली है कि आप सुनेंगे और आप सुनेंगे इस भरोसे से हम कहते है बड़ी मजबुरी है मेरे को झेल लीजियेगा। कहते है कि क्षेत्र में कोयला खदान, पॉवर प्लांट स्थानिय उद्योगो के चलने वाले ट्रको के व्यापक पैमाने पर दुर्घटनाये हो रही है जिस तरह से हम विस्तार पे विस्तार दे रहे है ये आंकड़े काफी हद तक आगे जायेंगे। जिस तरीके से 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आप आकलन हवा का करना चाहिए था वो हवा के आंकलन, पानी के आंकलन कहा से उपलब्ध हुआ, किन–किन स्त्रोत से आपने लिया, कहा–कहा से डेटा कलेक्ट किया, कौन किया, आप जब कर रहे थे तो कितने स्थानीय लोगो का आपने सहयोग लिया कुछ तो सुची होगी उन सुचियो का आप सार्वजनिक करे कि किन आधार पर इस विस्तार की परियोजनाओं को हमें आगे लेकर जाना चाहिए, आज एक विस्तार है, कल एक विस्तार है या तो एक साथ जिला प्रशासन अपने ताकत को, समय को, आर्थिक स्थिति को देखते हुये एक ही दिन में एक ही विस्तार कर देती उसके पुरे कितने किलोमीटर के रेडियस में टोटल जहा भी कंपनियों का होगा, कितना खदान का होगा, कितना बचा होगा जिसमें हमारे जैसे गरीब भुखा लोग जाकर के वही कही रह जाये, अगर रहने लायक हो तो आखीर आप विस्तार तो दे ही देंगे। किसी भी इतने बड़े जिले में औद्योगिक नजर के रूप में इसको जिला के रूप में दिखाया गया है। कही भी सार्वजनिक जगह में हमारे वायु प्रदूषण का, जल प्रदूषण का डिस्प्ले बोर्ड कही भी नहीं लगा है, कैसे लोग आपको बतायेंगे कि हमारे साथ ये हो रहा है कैसे लोगो की समझ होगी कीं वे अपनी बात रख सके। आपको बता दूं कि कुछ समय पहले मैं फिलिपिस में थी तो फिलिपाईस में एक जगह है गुड्स प्वाईंट उस गुड्स प्वाईंट के जगह पे क्रिसेसा नाम का जगह है जहा पर हवाई जहाज से आयरलैण्ड पर जाया जाता है वहा होती है निकल माईनिंग, उस निकल माईनिंग में आपको बता दूं जहा–जहां वहा के माईनिंग खाली होंगे वहा–वहा उन्हे मिट्टी पाट कर के उन्होने फल लगाये, किसके लिये स्थानिय समुदाय के लिये, रोजगार के लिये ऐसे कितने रोजगार श्रृजन किया जा रहा है उसकी कोई तो सूची जिला प्रशासन के पास होगी, उसमें स्थानिय महिलाओं की सूची क्या है। कितनी महिलाओं को स्थाई तौर पे स्थानिय उद्योगो में काम मिल रहा है और कितने को मिलना है, क्या ऐसी कोई सूची है जिला प्रशासन के पास जिसमें हमारी महिलाओ, बच्चे, बच्चियों के एजुकेशन के साथ उनका सूची है। तो इनत माम चिजो को अगर हम देखे तो कार्बन उत्सर्जन करने हेतु जिस तरह से कैम्पा का पैसा याद होगा आपको कि कैम्पा कितना बड़ा पैसा है। तो आपको बता दूं कि कैम्पा के पैसो से जिस तरह पौधा रोपण सरकार कर रही है, कंपनी कर रही है, या फिर लोग कर रहे है उस आधार पर क्या हमे इस तरीके की परियोजनाओं को बंद बंद कर देनी चाहिए क्या, कैम्पा जैसी चिजो को हम लिख कर दे दे। हमारी पास क्या इतनी कैपेसिटी है, इतने हमारे विभाग के पास निगरानी और मूल्यांकन की स्थिति है कि हम नये उद्योगों को विस्तार दे पाये, नये उद्योगो को स्थापित कर पाये। कितने हमारे स्थानिय लोगो को रोजगार लिलेगा, पर्यावरण क्या होगा, पानी की मात्रा कितनी खपत होगी, इतना पानी कहा से आयेगा, पानी कहा से आयेगा उद्योग के लिये, विस्तार के उपर अगर हम विस्तार करेंगे तो आपको फिर भू–जल स्त्रोतो से खीचकर पानी लेकर जाना पड़ेगा, सुप्रिम कोर्ट का आर्डर है कि भूमिगत जल का उपयोग केवल कृषि के लिये किया जाना चाहिए। तो उद्योगो में कितने भूमिगत जल का उपयोग हो रहा है इसका कोई डेटा, आंकड़ा आप लोगो के पास नहीं होगा, लेकिन हमारे जैसे लोगो के पास है। उस आधार पर आज की इस

जनसुनवाई को हम विरोध करते है ऐसे जनसुनवाई को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जो पर्यावरणीय मुद्दो का उल्लंघन करे, जो पेशा कानुन का उल्लंघन करे, जो जल स्त्रोतो और स्थानिय की समझ नहीं है, ई. आई.ए. पुरी तरह से कॉपी–पेस्ट है, दुबारा ई.आई.ए. बननी चाहिए, इससे पहले एस.आई.ए. होना चाहिए इसके बाद जनसुनवाई का आयोजन करना चाहिए। धन्यवाद।

467. सरीता – तराईमाल – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।

468. अंकिता चौहान – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।

469. कविता, – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।

470. आरती, तराईमाल – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करती हूँ।

471. जयंत बहिदार, रायगढ़ – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का आप लोग जनसुनवाई कर रहे है, जनसुनवाई के लिये भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय का ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 है उसका पालन करना चाहिए पुरी तरह से उसका पालन आप लोग कर नहीं रहे है। जो परियोजना प्रशासक द्वारा जो ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है उसकी जॉच कराया जाना चाहिए जिला में सभी संबंधित विभागों का मौसम विज्ञान का विभाग है, सिचाई विभाग है, पी.एच.ई. विभाग है, उद्योग विभाग है, स्वयं पर्यावरण विभाग है, राजस्व विभाग है तो रिपोर्ट में जितनी संबंधित जानकारिया है जॉच करनी चाहिए, आप लोग जॉच नहीं करते। एक चिज अभी हमने देखा है पर्यावरण विभाग जो पंचायतो में या विभिन्न विभाग जैसे जनपद है, जिला उद्योग केन्द्र है, कलेक्टर साहब के पास है, पंचायत है जो ई.आई.ए. रिपोर्ट आप लोगो ने जो ड्राफ्ट बना है हिन्दी और अंग्रेजी में उसको आप लोगो ने ठीक से दिया नहीं है, आपने लिखा जरूर है कि पंचायतो में, विभागों में दिये जरूर है मैने जॉच किया है आपने अंग्रेजी की जो मोटी किताब है उसको दिया है हिन्दी का नहीं दिया है, केवल हिन्दी का जो सार है ना उसी को आप लोगो ने दिया है। ठीक से दिया करे आप लोग, ताकि ना समझ पाये, ना जानकारी हो पाये आप लोग चाहते है। यह पर इस क्षेत्र में कितने उद्योग है उसको भी आप लोगो ने जो पर्यावरण की स्थिति है उसको भी आप लोग जॉच नहीं कराते है। मैने पहले भी आप लोगो को पिछले कई जनसुनवाई में कई बात को लेकर हमस ब प्रायः रखते है कि ई.आई.ए. नोटिफिकेशन के प्रावधानों का पालन नहीं होता, आप उसको महत्व नहीं देते, और आप लोगो के कारण सही तथ्य जो पर्यावरणीय आंकलन है वो सही रहते नहीं, सही स्थिति अगर इस क्षेत्र का पर्यावरण की होनी चाहिए वो नहीं है। अगर सरकार के विभाग जॉच करा दे तो तथ्य सामने आते और जो पर्यावरण के परिस्थिति का जो गंभीर स्थिति है वो पता चलता। ये जो परियोजना स्थल है वहा से रायगढ़ 25 किलोमीटर के दायरे के भीतर है आपके रिपोर्ट में है, जो रेल्वे स्टेशन है वो भी 25 किलोमीटर के भीतर है। सिंघनपुर जैसी गुफा है, सैल चित्र है उसको भी नुकसान पहुच रहा है। ऐसा नहीं की यहा हाथी का भी क्षेत्र है यहा हाथी रोजाना आते है, ये स्थाई हो गया है गलियारा उनके आने–जाने का उसका भी कोई महत्व नहीं है। रिपोर्ट क्यों कि फारेस्ट विभाग देता नहीं है, उसका फायदा उद्योगों को मिलता है। हमने बार–बार कहा है कि ये जो पूंजीपथरा का क्षेत्र है ये अनुसूचित क्षेत्र में आता है जो 5वीं अनुसूची है संविधान के अंतर्गत और जब ये अनुसूचीत क्षेत्र के अंतर्गत है तो यहा जो भी औद्योगिक, व्यापारिक, वाणिज्यिक गतिविधियां होगी उसके लिये ग्रामसभा की सहमति लेनी चाहिए उसको भी आप लोगो ने महत्व नहीं दिया। किसी भी परियोजना को ग्रामसभा की अनुमति नहीं है। ये ग्रामपंचायत से जाकर लिखवा लेते है, सरपंच, सचिव को अपने फैक्ट्री के भीतर बुलाकर रखते है और उसको पैसा–वैसा देकर बना लेते है।

ग्रामसभा का कोई महत्व है कि नहीं पेशा कानुन में, इस बात को भी आप लोग ध्यान नहीं देते है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जनसुनवाई कितने दूरी पर कर रहे है, परियोजना स्थल के समीप होनी चाहिए, ई.आई.ए. नोटिफिकेशन में क्या है प्रावधान 03, पौने 04 किलोमीटर में आप लोग करवा रहे है जनसुनवाई क्या वहा जनसुनवाई नहीं हो सकता पूंजीपथरा में, तुमीडीह गांव में नहीं हो सकता है क्या, परियोजना स्थल में ही हो सकता है, जब वहा पर इंजीनियरिंग कॉलेज चल सकता है ओ.पी. जिंदल इण्डस्ट्रीयल पार्क में तो क्या वहा जनसुनवाई के लिये कितने आदमी है 200, 400, 500 क्या इतने आदमी के बैठने के लिये जगह नहीं बन सकता। इसलिये नहीं कराते है क्यों कि उद्योग का, परियोजना का जो पोल है, गणबड़िया है, फर्जी है वो उजागर होगा, इसलिये वहा पर नहीं करने देते है आप लोग, तो ये सब चिजे है। हमारा यह कहना है कि हमारी जो कानुनी प्रावधान है, जो नियम है उसका तो पहले प्रालन किया जाये फिर जो पर्यावरणीय रिपोर्ट है उस पर बात होगी। आप लोगो ने जॉच किया, नहीं किया। अब इसके बाद आप लोग पर्यावरणीय स्वीकृति देने की प्रक्रिया जारी करेंगे तो जनता के उपर ही बोझ है क्या वही बतायेगा आप लोग नहीं बतायेंगे, आप लोग जॉच नहीं करेंगे और जो खामिया रहेंगी वह भी पास हो जायेगी तो इसकी भी जॉच कराई जाये और जनसुनवाई के लिये जो ड्राफ्ट ई.आई.ए. है वो सही और पुरी की पुरी कॉपी पहुंचना चाहिए हर जगह जिसमें आप लोगो ने लिख दिया है। ये सभी चिजो को ध्यान देना चाहिए। हमारा कहना है कि पूंजीपथरा कोई जिंदल की कंपनी का नवीन जिंदल का नहीं है ये छत्तीसगढ़ सरकार से लीज में दिया गया है और छोटे–छोटे लीज मे है, छोटे उद्योगो का नहीं है, ये समाज का है, सरकार का है। हम तो सरकार की बात करते है, अगर हम विरोध करते है तो सरकार की बात करते है, समाज की बात करते है, परन्तु आप उसको समझना नहीं चाहते है, तो ये उनका निजी नहीं है, यहा पर भी उद्योग बैठते है तो उसका प्रभाव समाज पर, गांव पर, ग्रामीण क्षेत्रो पर, आदिवासियो पर, जंगलो पर , क्षेत्रो में, पानी में सब जगह पड़ेगा तो उसकी जॉच कौन करेगा, उद्योग वाला थोड़ी ना बतायेगा गंभीर रिपोर्ट थोड़ी ना बतायेगा वो और जनता से भी अपेक्षा करते है कि ये आकर रिपोर्ट बताये, गांव के लोग बताये। इस ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट में जो अभी आप जनसुनवाई कर रहे है उसमें कितने लोगो को रोजगार देंगे यह नहीं बताया गया हैं। रोजगार देंगे, मिलेगा लोगो को कितने लोगो को देंगे नहीं बताया गया है। आज आप पुछिये परियोजना प्रशासक से, उनके संचालक से, उनके प्रबंधक से कि कितने लोगो को रोजगार मिलेगा। भूमिगत जल पहले से ले रहे है उसका अनुमति कब मिलेगा और जब ये परियोजना विस्तार परियोजना है तो नया कारखाना तो नहीं बैठेगा तो ये जो इनके पास जमीन है सोढ़े 10 एकड़ और इनका कारखाना 03–04 साल पहले से चल रहा है तो कितना इन्होने ग्रीन बेल्ट बनाया है वन थर्ड में ग्रीन बेल्ट बनाया है क्या इन्होने आश्वासन दिया है कि रिपोर्ट में कि हम ग्रीन बेल्ट विकसीत करेंगे। परन्तु जब कारखाना 04 साल से चल रहा है तो कितना इन्होने पड़ लगाये ये रिपोर्ट में नहीं बताये है, पुछिये ना क्यों नहीं किया है वन थर्ड एरिया में ग्रीनबेल्ट। ये सब चीजे है उनको खानापुर्ति करेंगे है, और तब ये प्रक्रिया आप लोग अपने टिम को भेजे तब जांच हो सके। हमारा तो विरोध है, हमारा कहना यह है कि आप लोग स्थगित कर दीजिए ये सब चीजो को मांगिये आप और इसको पुरी मत कीजिए, इस जनसुनवाई को पुरी मत कीजिए, फिर से रिपोर्ट बना कर आये, सुधार कर के आये तब इसको किया जाये। इगर यही सब रहा तो आने वाले जनसुनवाई में हम गिरफतारी देंगे, विरोध करेंगे और गिरफतारी देंगे। आज आप लोगो के

साथ हम ये छुठ दे रहे है कि ये सब सुधार कर लिया जाये और हम इस जनसुनवाई को स्थगित करने की मांग करते है और इसकी पर्यावरणीय स्वीकृति का विरोध करते है।

472. भोजमति राठिया, पेलमा, तमनार – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड, रायगढ़ की आयोजित होने वाली जनसुनवाई दिनांक 03.04.2021, स्थान–बंजारी मंदिर प्रांगण, तराईमाल का विरोध करने बाबत्। मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इंडिया प्राईवेट लिमिटेड स्थान–पूंजीपथरा की आयोजित होने वाली जनसुनवाई दिनांक 03.04.2021, स्थान–बंजारी मंदिर, तराईमाल इन बिन्दुओं के आधार पर हम विरोध करते है :– केन्द्रीय वन, पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना 14 दिसम्बर 2006 के तहत किसी भी कंपनी के आवेदन जमा करने से 45 दिवस के अंदर जनसुनवाई का आयोजन राज्य सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए अगर किन्ही परिस्थिति वश राज्य सरकार 45 दिवस के अंदर जनसुनवाई का आयोजन नहीं करवा पाती तो उन परिस्थितियों में केन्द्रीय पर्यावरण एक समिति का गठन करेगा जो संबंधित कंपनी का जनसुनवाई का आयोजन करेगा, इन कंपनी के द्वारा जो आवेदन किया गया है वह करीब 01 वर्ष हो गया है जो कि 365 दिवस से ज्यादा आवेदन करने का समय हो चुका है, इस तरह आज की जनसुनवाई केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना 14 दिसम्बर 2006 के नियमों का उल्लंघन है। इसलिये इस जनसुनवाई को तत्काल निरस्त किया जाये (2) आज की कंपनी की होने वाली जनसुनवाई की जो ई.आई.ए. इसमें जानकारिया लगाई जाये, वह अन्य होने वाली जनसुनवाइयों इन कंपनियो की ई.आई.ए. का रिपोर्ट लगाई गई है, उपरोक्त जानकारिया करीब 05–06 साल पुरानी है, इसलिये केन्द्रीय जलवायु परिवर्तन विभाग ने लिख के आदेश अनुसार किसी भी कंपनी की जनसुनवाई में 03 वर्ष के पुराने डेटा का उपयोग नहीं किया जा सकता। परन्तु इस ई.आई.ए. में जो भी जानकारी दी गई है वह 2011 के जनगणना के अनुसार है इसलिये यह जनसुनवाई अवैध है एवं अनलिगल है इसलिये आज की जनसुनवाई का हम विरोध करते है। यह क्षेत्र हाथी प्रभावित है जहां हाथियों द्वारा आस–पास खेतो को कृषि फसल नुकशान एवं कभी–कभी गांव में मानव क्षति पहुचाति है जिसकी क्षतिपुर्ति के रूप में रायगढ़ वन विभाग द्वारा कृषि क्षतिपूर्ति एवं मानव क्षतिपुर्ति के साथ ही हाथियों के भोजन एवं रख–रखाव के लिये 40 करोड़ रूपये से ज्यादा खर्च किये जाते है। इन परिस्थितियों में ई.आई.ए. के अंदर इसका विवरण नहीं दिया गया है। तैयार किये गये दस्तावेज भी दिखाई नहीं देते है जिससे यह कहा जा सकता है इस क्षेत्र की बनाई गई ई.आई.ए. सच्चाईयों से कोई वास्ता नहीं रखती जो केन्द्रीय वन, पर्यावरण मंत्रालय के नियमों का सीधा–सीधा उल्लंघन है इसलिये इस जनसुनवाई को निरस्त कर जमीनी स्तर पर अध्ययन करवाने की आवश्यकता है। क्षेत्र में कोयला खदान, पॉवर प्लांट एवं स्थानिय उद्योगो के लिये चलने वाले ट्रको के व्यापक पैमाने पर दुर्घटनाये होती है जिसका विवरण इन दस्तावेजों में नहीं दिया गया है। आने वाले समय में जब कंपनी का विस्तार होगा एवं नई कंपनी की स्थापना होगी जिससे सड़को में व्यापक पैमाने पर दबाव रहेगा जिसमें दुर्घटनाओं में व्यापक पैमाने पर बड़ोतरी होगी इनका विवरण इन दस्तावेजो में उपलब्ध कराया गया है कि प्रशासन द्वारा होने वाले दुर्घटनाओं को कैसे रोका जायेगा, जबकि सड़के दो लाईन की है वाहन क्षमता को विस्तार देते हुये 4 लाईन बनाने की अतिआवश्यक है जिससे यह क्षेत्र मे चलने वाले वाहनों से दुर्घटनाओं को रोका जा सके। इस 10 किलोमीटर के क्षत्र में प्राईमरी, मिडिल, हायर सेकेण्डरी 40 से ज्यादा स्कूले है जहां कभी भी स्कूलों में पड़ने वाले बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं करवाया गया। जिससे ये पता चल सके की रायगढ़ जिले के तमनार विकासखण्ड के अंदर औद्योगिकीकरण की वजह से हम जनमानस स्वास्थ्य को

लेकर किस तरह प्रभावित पड़े है। जो कि इस क्षेत्र में सिलिकोसिस जैसी गंभीर बीमारियां पाई गई है जिसका विवरण इस 10 किलोमीटर के क्षत्र में 70 से ज्यादा आंगनबाड़ी है जहा 01 वर्ष से 06 वर्ष तक के बच्चे/बच्चीयां इन आंगनबाड़ी में पढ़ती है जिनका आज तक कभी भी स्वास्थ्य परीक्षण नहीं कराया गया है जिससे यह पता चल सके कि आंगनबाड़ी मे पढ़ने वाले बच्चो के स्वास्थ्य, जीवन पर किसी तरीके का प्रभाव पड़ा हैं, जबकि देखा गया कि इस क्षेत्र में इस्नोपिलिया, दमा, टी.बी. है, कैसर, शरीर में चर्म रोग जैसे बीमारी पाई गई है। इनके लिये ना कोई किसी कंपनी द्वारा और ना ही सरकार द्वारा किसी भी प्रकार के कैम्प का आयोजन अब तक नहीं किया गया है। जिससे लोगो के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। जिंदल औद्योगिक पार्क पूंजीपथरा में जहां एक तरफ 30 से ज्यादा छोटे उद्योग स्थापित है वहा का जिंदल इंजीनियरिंग कॉलेज भी स्थापित है जबकि वहा सैकड़ो की संख्या में छात्र/छात्राऐ अध्ययनरथ है जिसके स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ रहा है ऑखो में जलन, चर्म रोग, दमा जैसे गंभीर लक्षण पाये गये है जिनका अध्ययन केन्द्र दिल्ली द्वारा किया गया है और सरकार को यह सुझाव दिया गया है कि यहा से उद्योग बंद कर दिया जाये या कि यहा से आई.टी.आई., इंजीनियरिंग कॉलेज को स्थानांतरित कर दिया जाये जो कि कंपनी तथा प्रशासन के द्वारा अब तक नहीं किया गया है। यह क्षेत्र 5वीं अनुसूची क्षेत्र के अंतर्गत आता है यहा पेशा एक्ट कानुन लागु होता है पेशा कानुन एक्ट के मुताबिक बिना ग्रामसभा के अनुमति के बगैर किसी भी प्रकार का उद्योग एवं कोई गतिविधियां संचालित नहीं की जा सकती। परन्तु प्रशासन द्वारा 5वीं अनुसूची पेशा एक्ट कानुन के नियमों का सीधा उल्लंघन किया जाता है, और ग्रामसभा के मिले अधिकारी के द्वारा अधिकारों का सीधा–सीधा उल्लंघन किया जाता है जो पेशा एक्ट के कानुनों का सीधा–सीधा उल्लंघन है। क्षेत्र के 10 किलोमीटर के अंदर राबो डेम स्थापित है जिसका जल प्रदूषण से पड़ने वाले प्रभाव का आंकलन नहीं किया गया है जबकि केलो डेम से रायगढ़ शहर एवं 20 से ज्यादा गांव, शहर के उपरी स्तर पर एवं शहर के नीचे बसे गांव, केले नदी के जल निस्तारण करता है जिससे प्रदूषित जल की वजह से लोगो के शरीर में खाद, खुजली एवं शरीर के उपर पड़ने वाले प्रभाव का स्वास्थ्य परीक्षण अब तक नहीं किया गया है एवं जल की गुणवत्ता का अध्ययन भी नहीं किया गया है। जो आवश्यक है कि पहले जल प्रदूषण के संबंध में अध्ययन कराया जाये जिससे लोगो के जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का आंकलन किया जा सके। जिले के औद्योगिकीकरण होने के कारण रायगढ़ जिले में अपराधों में व्यापक पैमाने पर बढ़ोतरी हुई है इसका मूल वजह दूसरे राज्यों से काम करने वाले लोग आपस में, आस–पास के गांव में, किराये के मकान में रहकर कार्य करते है। जिनके द्वारा गंभीर दुर्घटनाओं में, अपराध में हिस्सेदारी पाई गई है जिससे इस क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर अपराध में बढ़ोतरी हुई है इसके लिये किस तरीके की गतिविधियों का संचालन किया जायेगा इस मुद्दे पर किसी भी प्रकार का कोई अध्ययन नहीं किया गया है। रायगढ़ जिले में औद्योगिकीकरण होने के बाद भी स्थानिय बेरोजगारो को रोजगार का अवसर नहीं मिला अगर रायगढ़ के रोजगार कार्यालय में कार्यालय के जानकारी का अध्ययन करे तो लगभग 01 लाख 08 करोड़ पच्चास हजार युवा बेरोजगारी रजीस्टर्ड है जबकि रायगढ़ में 30 करोड़ रूपये से ज्यादा का पूंजी निवेश औद्योगिकीकरण के नाम से लिया गया है। इस पर कंपनी और सरकार को विचार करना चाहिए कि उद्योगों में स्थानिय बेरोजगारो को रोजगार कैसे उपलब्ध कराया जा सके। रायगढ़ जिला काऔद्यागिकीकरण होने के बाद भी महिलाओं को रोजगार का अवसर न मिलना जबकि इस क्षेत्र में काफी महिलाये तकनीकी शिक्षा से है, साथ ही इस क्षेत्र में प्रत्येक गांव में युवतियों को देखा गया है इंजीनियरिंग जैसी उच्च शिक्षा रखती

है इसके बाद भी रायगढ़ जिले का दुर्भाग्य है कि स्थानिय उद्योगों में महिलाओं को रोजगार ना मिल पाना जिस पर एक अध्ययन की जरूरत है और स्थानिय युवतियों को स्थानिय उद्योगों में रोजगार उपलब्ध कराया जा सके, जिससे रायगढ़ जिले में युवाओं में नौकरी को लेकर पलायन को रोका जा सके। क्षेत्र में निवासरथ कृषि, पशुधन एवं वनोपज का संग्रहण कर जीवन यापन करते है। औद्योगिकीकरण के वजह से जंगलो में मिलने वाले तेंदुपत्ता, महुआ, चिरौंजी, डोरी, हर्रा, बेहरा, आंवला प्रायः विलुप्त हो गया है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में खासतौर से आदिवासी समुदाय के लोगो के जीवन यापन खतरे में पड़ गया है इसलिये आस–पास के स्थानिय आदिवासी समुदाय के परिवारो के प्रत्येक परिवास से कम से कम व्यक्तियों को स्थानिय रोजगार उपलब्ध कराया जाये। धन्यवाद।

473. योगेश पाण्डेय, रायगढ़ – कार्यरकने के लिये जो योजना प्रस्तावित है जिसके संबंध में जो जनसुनवाई हो रही है तो इस जनसुनवाई में मैं अपना विरोध दर्ज करता हूँ। क्योंकि रायगढ़ एक ऐसा जगह हो चुका है यहा किसी भी तरह की और पाल्यूशन इसमें बढ़े जो जनस्वास्थ्य के लिये अत्यंत घातक हो रहा है। मै यह बताना चाह रहा हूँ कि हम लोगो को एक छोटी सी बीमारी के लिये मास्क पहनने के लिये मजबुर किया जा रहा है और हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा रहा है तो इस फैले हुये उद्योग से प्रशासन की तरफ से कितना ध्यान रखा जा रहा है जो उद्योगो के द्वारा जरह उगला जा रहा है उसके प्रति हम लोग कितने सजग है, आप लोग कितने सजग है उनका कोई भी प्रकार का ब्यौरा, रायगढ़ एक उद्योग हब में बदल चुका है उसके बावजुद भी किसी भी चौराहे पर हवा की शुद्धता या कितना पाल्युशन है उसको नापने का कोई भी प्रकार का डिस्प्ले नहीं लगा हुआ है इसके संबंध में मैने एक बार पर्यावरण अधिकारी से चर्चा भी किया था तो उन्होने इस पर अधिक मूल्य होने का कारण बताया और उसमें बहुत सारे मेन्टेनेन्स लगते है। हमको यह अधिकार है कि हम जिस जगह पर सास ले रहे है वहा पर वहा की गुणवत्ता कैसी है इसकी जानकारी नहीं है तो इस तरह की अवहेलना और निरंतर उसके बावजुद भी उद्योगो का विकास आप करते जायेंगे, उद्योग अपना विस्तार करते जायेंगे। इधर अनुभव में आया है कि जंगल से हाथी भाग रहे है, जंगल से बंदर भाग रहे है वो दुसरो के घरो को नुकशान पहुचा रहे है, खेतो को नुकशान पहुचा रहे है ये सारा चिज इसी से जुड़ा हुआ है इसलिये मैं चाहता हूँ बिल्कुल इस तरह के विस्तार को तत्काल रोका जाये और इस जनसुनवाई में किसी भी तरह का उद्योग यदि लगता है उसको पुरा रोका जाय। क्योंकि अब रायगढ़ इस तरह के उद्योगो को और नहीं झेल सकता, उनक उगलते हुये जहर को और नहीं झेल सकता। इससे व्यापक रूप से भले ही लोग कहे या ना कहे, कुछ लोगो का जरूर इससे लाभ हो जाता है लेकिन एक अनुभव है जिस तरह से तबाही माने रायगढ़ में मची हुई है उद्योगों के कारण वो सारा चिज ये बताता है क्या और उद्योगो का विकास या विस्तार किसी भी कंपनी का चाहे वह एन.आर. का हो यां किसी का भी हो हमेशा इसका विरोध दर्ज होते रहना चाहिए तभी हमारा यहा रायगढ़ में शुद्ध हवा और पर्यावरण, जंगल, जमीन बच पायेगा अन्यथा यदि ये नहीं रहे तो हम भी नहीं बच पायेंगे। हम लोग यहा के स्थाई निवासी है इसलिये मैं मांग करता हूँ इस तरह के जो भी अनुमति दी जा रही है उसको रोका जाये और मैं इस कंपनी का विस्तार का विरोध करता हूँ।

474. राजेश त्रिपाठी, जन चेतना, रायगढ – काफी बाते अभी तक ई.आई.ए. पर हुई सभी लोगो ने लगभग 02–03 घंटे से मैं देख रहा था कि 02 तरह के लोग अपनी बात रख रहे थे, एक बात यह थी कि समर्थन और विरोध। ये बात समर्थन और विरोध का नहीं है ये बात है पर्यावरणीय पर आने वाले उद्योग से हमारे

इन क्षेत्रों में क्या दुषप्रभाव पड़ेगा और पड़ने वाले दुषप्रभाव को कंपनी, प्रशासक और लोग मिलकर के बेहतर कैसे कर सकते है कि कम से कम जीवन पर उसका दुषप्रभाव पड़े। करीब 03 दिन से मैं अलग–अलग ग्रामपंचायतों के सरपंचों से बात कर रहा था, रायगढ़ जिले का ये तमनार ब्लॉक जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र के अंतर्गत आता है और अगर आपके ई.आई.ए. को हम मान ले तो लगभग इस क्षेत्र में 43 गांव है। अगर 5वीं अनुसूची के नियम के मुताबिक देखे तो पर्यावरण जनसुनवाई की जो ई.आई.ए. रिपोर्ट है ये 43 के 43 ग्रामों में जानी चाहिए थी। दूसरी बात इसके प्रचार–प्रसार की क्या वहा व्यवस्था की गई जिन ग्रामपंचायतों में ई.आई.ए. गई भी है वो केवल पंचायत सचिव या सरपंच के घर और अलमारी के अंदर ताले में बंद है और फिर ये हम लोगो से उम्मीद करे कि लोग अपनी बात पर्यावरण मुद्दे के लिये करेंगे। क्या पर्यावरण क्षेत्र है जो इतना छोटा है? 2015 में जिस चनोली में घटना घटी वहा एक इंटरनेशनल जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर मै भी गया था मेरा भी प्रजेन्टेशन था। 03 दिन अध्ययन करने के बाद हमने यही बात कहा था कि आने वाले 2025–30 के बीच में यहा एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है जिसकी भरपाई प्रकृति की दुर्घटना की भरपाई मानव जीवन सायद नहीं कर सकता और अमौनी में कुछ दिन पहले आप लोगो ने सुना कि जो कुछ हुआ। हम प्रकृति के साथ जिस तरीके से अत्याचार करने पर तुले हुये है उसका परीणाम हमको किसी ना किसी रूप में भुगतना पड़ता है। रायगढ़ जिले के अंदर 1990 में जो सड़के थी जब मुश्किल से रायगढ़ के अंदर 500, 700 वाहन रहे होंगे। एक गांव में मुश्किल से 01 या 02 ट्रेक्टर होते थे, 1, 2, 4 मोटर साईकिले होती थी, रायगढ़ शहर के जो बड़े लोग है उनके पास 01, 02 जीप रहती थी, 10, 20 बसे चलती थी। आज हमारी रायल्टी कितनी है रायगढ़ की लगभग साढ़े तीन अरब रूपये, रायगढ़ जिले की रायल्टी माईनिंग विभाग को आती है। लगभग 5000 ट्रक हमारे इन सड़को पर चलते है और परीणाम, रायगढ़ जिले के अंदर एक भी सड़क नहीं है मेरे साथ कोई मोटर–साईकल से यहा से धरमजयगढ़, पत्थलगांव तक चले सर अगर उसको रात में बुखार नहीं आया और तीन दिन तक बुखार से पिड़ित नहीं रहा तो आप जो कहेंगे वो करने के लिये तैयार हूँ। तो इसके लिये फिर अगर ये विकास हुआ है तो विकास है क्या? हमको यह भी समझना चाहिए। एक इंशान के लिये विकास की परीभाषा हो सकती है वो बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर सड़क, बेहतर पानी, बेहतर बीजली और बेहतर रोजगार और अंत में इन सब चिजो के लिये उसको चाहिए बेहतर सुरक्षा, और हमारे पास वही चिजे उपलब्ध ना हो तो फिर हम विकास के पैमाने को लोगो के साथ हम मजाक करते है। हम कभी ये नहीं कहे कि इन कंपनियों का विरोध करते है। इस देश के अंदर कंपनियां लगनी चाहिए, लोगो को रोजगार मिलना चाहिए, परन्तु जो सरकार के निर्धारित मापदण्ड है 10 मई 2016 ये भारत सरकार का मैने गजट लाया है। इसमें वायु में नाइट्रोजन, फास्फोरस जो भी घुलनशील तत्व है उनकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, पानी में कितनी मात्रा होनी चाहिए, ध्वनि प्रदूषण कितना होना चाहिए ये निर्धारित है और वो निर्धारित करने की जिम्मेदारी किसकी है, उन उद्योगो की है पहली जिम्मेदारी अगर कही त्रुटी होती है तो उसके साथ सरकार का एक अमला हमारे बीच में बैठा हुआ है पर्यावरण विभाग का हो चाहे वन विभाग का हो, जल संसाधन विभाग का हो, पी.एच.ई. विभाग का हो इनकी जिम्मेदारी है की ये सतत् मानीटरिंग करें और जब भी ऐसे तत्व हमारे वातावरण में घुलते है उसको नियंत्रित करें और तीसरी बुनियादी सवाल है कि लोगो के रोजगार का मुद्दा, परन्तु हम अगर जमीनी स्तर पर हकीकत देखे तो रायगढ़ जिले में लगभग साढ़े तीन लाख करोड़ पुंजी निवेश अब तक हो चुका है मोटा–मोट अभी भी बोला जा रहा है कि लगभग 60 हजार करोड़ का पूंजी

निवेश अभी आने वाला है, परन्तु जो 2015 में एक लाख बीस हजार लोगो का युवा, युवतियों का रोजगार कार्यालय में पंजीयन था पढ़–लिखे लोगो का, अभी हमने पता लगाया लगभग एक लाख चौरासी हजार जो नौजवान लोग है जिनको अपनी पढ़ाई कम्प्लिट करने के बाद रोजगार चाहिए अगर उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो किल्लत बनेंगे और वो समाज के लिये एक जहर बन जायेंगे। क्या ये हम सब लोगो की नैतिक जिम्मेदारी नहीं है। अभी मैं कई साथियों से बात कर रहा था मैने बोलो की भाई ये पक्ष और विपक्ष, विरोध और समर्थन की बात नहीं है जब भी रायगढ़ जिले के अंदर कंपनिया अच्छा काम करती है उनके साथ मिलकर मैं बेहतर काम करता हूँ संजय अग्रवाल जी मेरे दोस्त है कोई दुशमन नहीं है, उन्होने भी कहा इस रोड़ के अंदर दुर्घटनाओं में लोग क्षतिपूर्ति या मृत्यु हो जाती है, फिजिकली अनफिट हो जाते है उनके लिये एक ट्रामा सेंटर बनायेंगे। मैं रायगढ़ जिले का पहला आदमी था जैसे ही मैने समाचार सुना पहले मैं उन्हे बधाई दिया, उन्होने कहा कि रायगढ में हम एक हास्पिटल बनायेंगे मैने कहा सबसे पहला आदमी था उनको बधाई देने वाला। केवल एक उद्योग की बात नहीं है रायगढ़ जिले में जितने स्थापित उद्योग है उन सबकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि अपने समाज के प्रति अपनी आपकी जो जवाबदेही है, जिम्मेदारी है उसको आप सुनिश्चित करीये और जब आप जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे लोगो के साथ जो विपरीत परिस्थिति निर्मित होती है अगर उससे लोग सुरक्षित होंगे तो हर आदमी चाहेगा कि उद्योग का विस्तार हो। हमारे यहा आर.टी.ओ. विभाग है रायगढ़ जिले में 5000 ट्रक चलते है अब लगभग 10000 के आस–पास हो गये है। सरकार के मापदण्ड निर्धारित है चलिये आप मेरे साथ खड़े हो जाईये मै आपको दिखाता हूँ लगभग 25 प्रतिशत ट्रकों में पीछे नम्बर प्लेट नहीं होती है और वो क्यों नहीं होती क्योंकि अगर वो रामलाल को धक्का माकर निकल गया, रामलाल तो मर गया और वो पुलिस की एफ.आई.आर. में आता है अज्ञात वाहन द्वारा दुर्घटना, क्योंकि बीमा कंपनियों को बीमा ना देना पड़े। रायगढ़ जिले के अंदर अगर अभी आप जॉच कर लीजिए हमारे सर बैठे है एडिशनल एस.पी. साहब बैठे है एस.पी. साहब भी बैठे होंगे अगर आप अभी एक–एक गाड़ी की जॉच करवाईये अगर 35 टन उनकी लिमिट है तो 55 टन से कोयला उसमें नहीं निकलेगा। आपके रायगढ़ जिले की जो सड़के है वो 35 टन की बनी हुई है, 25 टन की बनी हुई है और ओवर लोडिंग किनको फायदा पहुचाया जाता है, क्या उद्योगपति को, क्या ट्रांसपोर्टरो को और कुछ दिन पहले वो ट्रांसपोर्टर यहा धरने में बैठे हुये थे कि हमारी गाड़ी में जो ट्रांसपोर्टिंग है उसका किराया बड़ाया जाये तो इस पर्यावरण के लिये केवल एक क्षेत्र जिम्मेदार नहीं है बल्कि हम सभी व्यापक पैमाने पर जिम्मेदार है। ये दो किताब सर मै अभी सुचना के अधिकार से निकालकर लाया हूँ ये उनकी कार्ययोजना है और ये छत्तीसगढ़ बनने के बाद 2008 में उन्होने कार्ययोजना बनाया है। इस कार्ययोजना के मुताबिक मैने काफी पढ़ा है ये 4 किताबे उन्होने दिया है तो उन्होने रायगढ़ जिले के अंदर अब तक साहब 12 करोड़ पेड़ लगा दिये है मैनें उनसे पुछा अगर 12 करोड़ पेड़ है उनसे एक पेड़ से दूसरे पेड़ की दूरी तो निर्धारित होगी वैसे 10 बाई 10 में पेड़ लगाये जाते है जहा तक मै पढ़ा हूँ, चलिये 5 बाई 5 मान लेते है। तो 12 करोड़ पेड़ लगाने के लिये आपके पास जमीन कहा थी तो बोले उसको हमको खोजना पड़ेगा और बोले इधर की जो जंगल और जमीने गई है उसके बदले उन्होने सारंगढ़ में, सराईपाली जो है सराईपाली–बसना की जंगलो में लगवा दिया, आंकलन यह है सर और हमारे साढ़े 7 करोड़ पेड़ उद्योगपतियों ने लगा दिया तो साढ़ सात और 12, 20 करोड़ हो गये आपके जमीन का रायगढ़ जिले का क्षेत्रफल कितना है और जंगल आपके पहलें से उपलब्ध है तो पेड़ लगे तो लगे और किस बात का पेड़ था कही ऐसा तो नहीं की

पेड़ के नाम से इनहोने पर्या बनाकर भाजी का बीजा छिट दिया और भाजी को इन्होने पेड़ मान लिया। कैम्पा एक मद है करोडो रूपये, अरबो रूपये रायगढ़ जिले को मिलते है, अगर सभी विभागों के पैसो को एक जगह रख दिया जाये तो मै दावे के साथ कहता हूँ कि एक ग्रामपंचायत को बजट जो मिलेगा वो 5 करोड़ से उपर का मिलेगा और वो अपना विकास कर लेंगे। रायगढ़ जिले में अगर 2 लाख करोड़ का पूंजी निवेस हुआ है तो आपके आंकड़े क्यों बताते है कि आप भी रायगढ़ जिले के 42 प्रतिशत जो बच्चे है को कुपोषित है, 67 प्रतिशत गर्भवती और शिशुवति महिलाये क्यो कुपोषित है। तब तो उनका विकास हो जाना चाहिए, उनके अंदर कुपोषण नहीं होना चाहिए, क्या ये स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है, और दुर्भाग्य यह है कि इस ई.आई.ए. के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, इस ई.आई.ए. के अंदर यह कही नहीं लिखा हुआ ह कि इन जो 43 गांव है इन गावों में हम किसी कंपनी की बात नहीं करते हम उनका स्वास्थ्य परीक्षण, वहा के बच्चो का, गर्भवती महिलाओं का, शिशुवति का, गांव के लोग 60 से उपर बुजुर्ग है उनका कहीं करेंगे हमारी कोई नैतिक जिम्मेदारी है कि यहा किस तरीके की बीमारी फैल रही है और ये मुझे लगता है कि जो 2015 का जो अधिसूचना पर्यावरण मंत्रालय का बना उसमें पहली बात लिखी है कि कोई भी औद्योगिक और खनन क्षेत्र होंगे सबसे पहले आपको एस.आई.ए. बनाना होगा, सोसल इंपेक्ट असिसमेंट की रिपोर्ट। अगर उस गांव की कोई महिला गर्भवती है तो उसको कौन–कौन से टीके लगने है और फिर जो बच्चा पैदा हुआ है उसको कौन–कौन से टीके लगने है, उसकी जीवन की कौन–कौन सी जरूरते है और जो बच्चे है, नौजवान है और नौजवान के बाद जो बुड़े लोग है सभी का सोसल इंपेक्ट असिसमेंट रिपोर्ट बनाना है। उसके बाद वो सोसल इंपेक्ट रिपोर्ट को ग्रामसभा में रखना है और ग्रामसभा में सोसल इंपेक्ट जो एक–एक परिवार का बनेगा उसको पढकर सुनाना है। अगर उसमें कोई चिजे त्रुटी है, जोड़ना है, छुट गया है उसको ग्रामसभा से अनुमोदन करवाने के बाद फिर विभाग की जिम्मेदारी है आप क्या रिफरेंस देंगे और इसके बाद ई.आई.ए. बनायेंगे। इससे पहले श्याम धावड़े साहब थे मैने बैगलोर से ट्रेनिंग करके कि सोसल इंपेक्ट कैसे बनता है उसका पुरा मटेरियल लेकर आया था और साहब ने कहा कि हम चाहते है कि हमारे सरकारी विभाग के लोग है वो सोसल इंपिक्ट असिसमेंट रिपोर्ट कैसे बनता है इसकी कम से कम 03 दिल ट्रेनिंग आप मिलकर करो। परन्तु रायगढ़ जिले का दुर्भाग्य यह है कि जब भी एक किसी अधिकारी से बेहतर रिस्ता बनता है समाज और समुदाय के लिये कुछ काम करने के लिये तब उस अधिकारी का स्थानान्तरण हो जात है। नये अधिकारी आते है उनके साथ विश्वास बनाने के 6–8 महिने लगते है जब तक विश्वास बनता है उनका स्थानान्तरण हो जाता है जैसे अपने गेडाम साहब ले दे के 6–8 महिने रहे और उनका ट्रांसफर हो गया और सर आये और सर से एक विश्वास बनेगा, कुछ बेहतर करने के लिये सोचु तो तब तक उनका ट्रांसफर हो जायेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो बुनयादी सवाल है उसमें एक अध्ययन की जरूरत है और शिवपाल भगत वर्सेस सरकार एक एन.जी.टी. का आदेश आया है ये अभी 2020 में 19 सितम्बर या अक्टूबर का है ये आदेश, उसमें तो सीधे–सीधे लिखा है कि 01 फरवरी के बाद सड़क के माध्यम से किसी भी प्रकार की कोई ट्रांसपोर्टिंग नहीं होगी और मान लीजिये की गांव के लोग अगर चक्काजाम करते है और कोई अधिकारी मेरे पास आता है और मै बोलता हूं ये एन.जी.टी. का आदेश है ले लीजिये और मुझे पावती दे दीजिए। हम चले जाते है। यानी सरकार के जानकारी में आने के बाद भी वो नहीं रोका जा रहा है तो कोर्ट आफ कंटेक्ट है और अगर हम लोग करे मेरे उपर कार्यवाही हो रही है, जेल में डाल दे रहे है तो भी कोर्ट आफ कंटेक्ट क्यों कि मैं भारत सरकार के एन.जी.टी. जो कोर्ट है उसके

आदेशों का मैं पालन करवा रहा हूँ। तो बात यह है कि स्पेसिक रायगढ़ जिले के लिये है क्योंकि पिछले दिनो जो केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय की टीम आई थी यहा के जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण का अध्ययन करने तो उनको जहा प्रदूषण था वहा उनको लेकर नहीं जाया गया और दूसरी–दूसरी जगहो पर घुमाया गया आपके विभाग द्वारा और वो टीम जब दिल्ली वापस गई और अपना प्रतिवेदन रिपोर्ट जब उन्होने एन.जी.टी. के अंदर रखा और जब हमने उन क्षेत्रों का फ्लाई ऐश की पुरी रिपोर्ट, फोटोग्राफ, विडियोग्राफी, उसका मैप जब हमने रखा तो दिल्ली के आपके विभाग के लोगो ने कहा रायगढ़ जिले के जो पर्यावरण विभाग के लोग है, पर्यावरण अधिकारी है उन्होने मुझे उस क्षेत्र का अध्ययन नहीं करवाया और उसी आधार पर एन. जी.टी. ने ये आदेश किया। दूसरा सड़को पर शिवपाल भगत वर्सेस सरकार इसके पहले एक आदेश आया की रायगढ़ जिले में जो सड़क की बात कर रहा कि 4 लाईन सड़क। राज्य सरकार का 333 करोड़ का एक जुर्माना लगाया है कि पहले आप सड़क बनाईये रायगढ़ से पत्थलगांव और पूंजीपथरा से मिलुपारा 111 किलोमीटर इसके बाद आप लोग सड़को में ट्रांसपोर्टिंग करीये। अब देखिये दुर्भाग्य कि ये रायगढ़ जिले का छत्तीसगढ़ सरकार के लिये शिवपाल भगत का जो आदेश आया है की जब तक आपकी सड़के नहीं बनेगी तब तक आप लोग ट्रांसपोर्टिंग नहीं करोगे तो हमारी सरकार से उसको नहीं माना, परन्तु उड़ीसा के लोग टपरिया हमिरपुर से करीब 10 किलोमीटर आगे उस आदेश को लेकर जब सड़क पर बैठे तो वहा के सरकार ने, वहा के जिला प्रशासन ने मैं खुद गया था जिला कलेक्टर साहब हाये थे उन्होने कहा जब तक यहा सड़क का आपका अलग से सड़क कारिडोर बनाना है उससे आप ट्रांसपोर्टिंग करोगे और अभी जो ट्रांसपोर्टिंग कर रहे है वो पी.डब्ल्यू.डी. से सड़क से आप कर रहे हो। इसलिये जब तक आपकी सड़क नहीं बनेगी तब से कोई भी ट्रांसपोर्टिंग आप नहीं करोगे आप अभी पता लगा लिजिये तो वहा की सरकार ने आदेश मेरे लिये है पालन उड़िसा गवर्नमेंट कर रही है आखिर हमारी सरकार की क्या व्यवस्था है कि जब हम सुप्रिम कोर्ट का, जब हम पर्यावरण के मापदण्डो का, जब हम सामान्य विपरित परिस्थितियां निर्मित हो रही है उनके लिये हम काम नहीं कर पा रहे है तो मुझे लगता है कि हमको भी इन पर विचार करना चाहिए। रेड्डी साहब से भी मै बोलना चाहुंगा की जब आप अध्ययन करते है तो लिखा है कि हमने फलाना–फलाना सैम्पल लिये 26 तारीख को कब सैम्पले लिया। उस गांव में जब सैम्पल लेने गये तो क्या उस गांव में कोई नहीं था, मान लिजिए ठीक है पुरा गांव नहीं था क्या उस गांव का सरपंच था, सचिव था, रोजगार सहायक था, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी, उस गांव का चौकीदार था तो जब आप सैम्पल लेने जाते है तो मेरा यह कहना है कि उस गांव के इन लोगो से एक दस्तखत तो करवा लिजिये कि मै आपके तालाब का सैम्पल ले रहा हूँ, आपकें कुआं का सैम्पल ले रहा हूँ, आपके बोरवेल का सैम्पल ले रहा हूँ, नदी का सैम्पल ले रहा हूँ उस सैम्पल की गुणवत्ता की अगर जॉच हो जाये मै तो आने वाले समय में रेड्डी साहब को कहुंगा जब भी यहा की ई.आई.ए. बनागें तो आप मुझे आमंत्रित करेंगे मुझे आदेश कीजिए आमंत्रित मत करें। मैं आपके साथ रायगढ़ जिले में 2, 4, 6 महिने अगर लगता है तो मैं एक ऐसी ई.आई.ए. बनाना चाहता हूँ जिसको समाज और समुदाय के बीच में रखे और ये विरोध और समर्थन करने के लिये नहीं बल्कि हम समाज में सभी बैठ के उस पर पुर्नविचार करे और समाज की, समुदाय की, उद्योग की, प्रशासन की एक बेहतर भुमिका हो सकती है कि वो चाहे जल प्रदुषण की हूँ, चाहे ध्वनि प्रदूषण की बात हो, चाहे सड़को में दुर्घटनाओं से होने वाले मौतो की बात हो, चाहे दुर्घटना में फिजिकली अनफिट हो जाते है उनकी बात हो क्यों ना हमस ब मिल के एक सुग्घर रायगढ़ का जो हमारे भीम सिंह कलेक्टर साहब जी

का सपना है वो केवल रायगढ़ शहर के चक्रधर नगर, कलेक्टोरेट के सामने का नहीं है बल्कि सुग्घर रायगढ़ का जो सपना है वो रायगढ़ जिले का है अगर हम सब मिलकर उसको बेहतर करते है तो मुझे लगता है कि रायगढ़ के एक अच्छे परीणाम होंगे और भारत सरकार का एक और है वो भाई ने बोला एन. जी.टी. ने एक आदेश और दिया है मैं आपको बता दू। आप चाहेंगे तो मैं लाकर दे दूंगा। एन.जी.टी. ने यह कहा है कि जब तक रायगढ़ जिले का पाल्युशन का अध्ययन नहीं हो जाता तब तक नये उद्योगो का विस्तार करना और उद्योगों की स्थापना करना नहीं किया जा सकता ये एन.जी.टी. का आदेश है। मुझे कहने की जरूरत यह है कि रायगढ़ जिले का हम लोग एक पर्यावरणीय अध्ययन कर लेते है अलग–अलग नागपुर की संस्था निरी ने 2015 में किया था और यहा एक पर्यावरण का अध्ययन हो जाये। जल प्रदूषण का, वायु प्रदूषण का, ध्वनि प्रदुषण का अगर हमारे जिले का पर्यावरण यह कहता है कि नये उद्योग होने चाहिए तो उस पर विचार करना चाहिए अगर वो कहता है कि नहीं बस बहुत हो गया तो फिर उस पर भी विचार करना चाहिए। केन्द्रीय पर्यावरण की एक टीम आई थी यहा जे.आई.टी. का इंजीनियरिंग कॉलेज बना हुआ है उनकी रिपोर्ट मेरे पास रखी है उसने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है यो तो आप ज.आई.टी. हटा कर दुसरे जगह स्थापित कर लिजिये या वहा से उद्योगो को निकाल कर दुसरे जगह स्थापित कर दीजिए। वहा 70 बच्चे जो है बो दमा की बीमारी से निकले थे जब उनकी सैम्पलिंग ली गई और उन्होने इस बात को राज्य सरकार को भी कहा, जिला प्रशासन को भी कहा तो हमारी और उनके इन्स्टुमेंट पर्यावरण विभाग के इन्स्टुमेंट बोलते है कि यहा कोई प्रदूषण नहीं है सेन्ट्रल की टीम आती है और बोलती है कि यहा बहुत प्रदूषण है जब हम अध्ययन करते है तो बहुत प्रदूषण निकलता है तो हम सब लोग इस बात पर सोचे और विचार करे और जब तक इनका कोई अध्ययन ना हो जाये तब तक मुझे लगता है कि आने वाले समय में चाहे वह खनन की प्रक्रिया हो, चाहे आपके पॉवर प्लांट हो, फ्लाई ऐश हो अभी आपके विभाग ने जानकारी दिया है उस जानकारी के मुताबिक लगभग 84 हजार मिलियन टन राख यहा पर निकल रहा है और यहा से लेकर हम केन्द्र सरकार तक को एक सूचना देते रहते है कि इण्डक्शन फर्नेस इन्स्टाल कर लिया पीठ में हाथ देते है और अवार्ड भी मिल जाता है रायगढ़ को और यहा के जंगलो में, किसानो के खेतो में, पंचायत भवनों में बड़े–बड़े पहाड़ बने हुये है और मई–जून के समय आप देखेंगे की जो डोंगामहुआ के पास जिंदल पॉवर है उसका पुरा का पुरा फ्लाई ऐश लोगो के गांव में, आंगन में, थाली में, आंगनबाड़ी कार्यकता जो बच्चे खाते है, मध्यान भोजन करते है उनके थालियों में पड़ रहा है इस पर भी हमको विचार करना चाहिए और इन सभी बाते के साथ मैं अपनी बात को खतम करता हूँ। जय हिन्द, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।

475. राधेश्याम शर्मा, रायगढ़ – ये जो आज की जो जनसुनवाई है उसके संदर्भ में मैं पीठासीन अधिकारी से कुछ आश्यक जानकारी चाहता हूं। इन जानकारियों के अभव में मेरा विरोध या समर्थन गौर हो जायेगा। जो ई. आइ.ए. रिपोर्ट बनी है अधिसूचना के पश्चात वो जनता के अवलोकन के लिये किन–किन स्थानों पर रखा जाना चाहिए ये उसमें स्पष्ट निर्धारित किया गया है, निर्देशित किया गया है। मै पीठासीन अधिकारी से जानना चाहुंगा कि क्या जिला परिषद को, निगम परिषद को, नगर परिषद को इसकी सूचना दी गई है या नहीं क्योंकि लोगतांत्रिक व्यवस्था में ग्रामपंचायत या पंचायती राज व्यवस्था हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी मजबुती है हमारे देश में। हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था जब से लागु हुई है उसके अंतर्गत रायगढ़ जिले में जो जिला पंचायत है वहा अवलोकन के लिये रखा जाना चाहिए था, जनपद में भी रखा जाना

चाहिए था। परन्तु दुर्भाग्य यह है कि जिला के अधिकारी जनसुनवाई को संपन्न कराने में ही अपना दिमाक लगा कर रहे है उसमें कानुन का पालन हो उसके लिये कही भी उनकी चेतना नहीं है ये मैं जिला प्रशासन के जो भी जिम्मेदार अधिकारी है उसके साथ–साथ हमारे जो चुने हुये जनप्रतिनिधि है वो भी जिम्मेदार है। जैसे राजेश त्रिपाठी जी ने का कि 10 किलोमीटर के रेडियस में 40 से उपर गांव है तो उन 40 गांव में कंपनी का जो ई.आई.ए. रिपोर्ट है अवलोकन के लिये रखा गया है मैं जानन चाहुंगा कि वो 40 से उपर गांव में पहुचा है, क्या वहा मुनादी करवाई गई है जनसुनवाई के संदर्भ में, किसी भी अशिक्षित लोगो को कार्यक्रम के संदर्भ में बिन्दुवार जानकारी दी गई है कि इससे क्या–क्या हानी और लाभ हो सकती है। क्योंकि मैने जो अध्ययन किया है उसके हिसाब से जिला पंचायत को जिला प्रशासन द्वारा ई.आई.ए. रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराया गया है मै श्री निराकार मालाकार जी अध्यक्ष महोदय कांग्रेस के है चुने हुये जिला के, सदन के सर्वोच्च पद पर है मैने पुछा आपको जानकारी है, बोले हमको तो कोई जानकारी नहीं है मैं बोला ऐसा कैसा हो सक़ता है आप हमारे जिला के मुखिया है इस पंचायति राज व्यवस्था में आप हमारे चुने हुये प्रतिनिधि है और सर्वाच्च पद पर है आपको जानकारी नहीं है वो अपने कार्यालय फोन लगाये नहीं यहा नहीं है, जब उसमें लिखा है जिला परिषद तो जिला परिषद में क्यों नहीं दिया गया और जनसुनवाई के लिये पीठासीन अधिकारी महोदय यहा केवल सुनने के लिये नहीं है। अगर ई.आई.ए. में कोई त्रुटी है क्योंकि एस. आई.टी. तो नहीं है इसके लिये है भी तो उसका महत्व नहीं है जो संभाग है पर्यावरण के अधिकारी है उनको उद्योगो से उनका पैकेट पहुचना चाहिए उतने तक वो सिमित है और जिले के लिये भी यही प्रक्रिया चल रही है तो फिर कानुन का पालन कौन करवायेगा। मैं पर्यावरण अधिकारी से निवेदन करूंगा कि जो 14 सितम्बर 2006 भारत सरकार की अधिसूचना के तहत समस्त नियमों और कानुन का पालन हो रहा है, नहीं हो रहा है, आप नहीं बोल सकते आप जिम्मेदार पद पर होकर इस सार्वजनिक मंच पर नहीं बोल सकते क्योंकि उस कानुन के विपरीत आप लोग कार्य कर रहे है। यहां कलेक्टर भीम सिंह, सिर्फ नाली निर्माण में व्यवस्त है। कल कलेक्टर से मिल के पुछता हूं माहमारी काल में क्या जन सुनवाई होना चाहिए। पीठासीन अधिकारी क्या आप बिक गये है या भयभीत है। उस ग्रामीण क्षेत्र में 40 से अधिक गांव वहां क्यो नहीं गयें। आपको पता यहां जल/वायु/ध्वनि प्रदूषण की क्या स्थिति है। किन–किन बिमारियों से ग्रसित हैं हम रायगढ़वासी। कन्सलटेंट कंपनिया इस अपराध में सबसे बड़े अपराधी है। कोई भी कन्सलटेंस कंपनी इसे प्रुफ नहीं कर सकता कहा से सेम्पल लिया है। एक पुलिस का अधिकारी कर्मचारी कही जाता है तो वहां पंचनामा की आवश्यकता होती है लेकिन यहा फर्जी कन्सलेटी का कर्मचारी ई.आई.ए. बना दिया और आप ले लिये, या तो आप बिक गये है या भयभित है, बताईये कौन भयभियत कर रहा है। मै पीठासीन अधिकारी, पर्यावरण अधिकारी, कंसल्टेंसी एवं कंपनी के उपर अपराध दर्ज कराउंगा। मैं कल या परसो में तसईमाल में एफ.आई.आर. दर्ज करूंगा। प्रशासनिक अधिकारी पुरी तरह से बिक चुके है। शादी विवाह के लिये आप कितने को आना है, नहीं आना फिक्स कर दिया और जनसुनवाई में। तो नयाय कहां से प्राप्त होगा। सारे चड्डी धोने वाले हरामखोर सुप्रीम कोट में बैठे है। एक हरामखोर के कारण 240 निर्दोश लोगो की जान गई है। कौन मुझे सुरक्षा देखा जब न्यायपालिका नहीं देगा तो नक्सली से भीख मांगना पड़ेगा। मैं क्या करू आप बताये। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ठेके में काम करते है। ऐसे फर्जी कंपनी को बैठाकर कन्सलटेंसी को बैठाकर प्रदूषण की अनुमति दे रहे है। रायगढ़ जिला की क्षमता समाप्त हो चुकी है रेड जोन में है। पर्यावरण अधिकारी यहा एक नया ई.आई.ए. बनावाये यहां का। जनता से वेतन लेने वाले लोग

आप लोग तानासाह है। आप लोगो में सविधानिकता है तो कंपनी और कंसलटेंसी को तुरन्त गिरफ्तार करें। आपके माता–पिता आपको इस जगह में सविधान को पालन करने के लिये पढ़ाये है न ही इसका पालन नहीं करने। आप लोग बहुत विवश है। आप कानुन का पालन नहीं करेंगे। ये लोकसुनवाई जो हो रही है उस पर माता–बहनों के द्वारा बोला गया हम उसका समर्थन करते है। कोई भी अपनी सहमति या आपत्ति बताता है तो उसका कारण बताना पड़ेगा नहीं तो उसका मत अमान्य होना चाहिए। ई.आई.ए. को क्षेत्रीय भाषा में होना चाहिए लेकिन केवल समरी ही स्थानिय भाषा में है। किसी भी जानकारी को होते हुये उपलब्ध नहीं कराना षड़यंत्र है पुलिस जानते है इस बात को। पुलिस जिस दिन समझ जायेगी इस बात को तो कलेक्टर को भी डंडा मार सकता है। इस भारत भूमि में पर्यावरण खराब हो रहा है। मै फिर पुछना चाहुंगा कि आप लोग क्या कानुन का उल्लंघन करने के लिये बैठे है। आप लोग कानुन का पालन करने में असमर्थ है तो मुझे सोचना पड़ेगा कि आप लोगो को सबक सिखाने के लिये क्या करना पड़ेगा। पर्यावरण अधिकारी को क्या मुझे बताना पड़ेगा कि उनका क्या अधिकार है। आप जिले के पर्यावरण से संबंधित अधिकारी है आपको अधिकार है इस जनसुनवाई को निरस्त करवाने का। अभी आप के पास अधिकार है। यें अपने अंतर्भुत शक्ति का उल्लंघन कर रहे है। नागरिको के अधिकार को आप लोग गाठ बांध कर रखे है। इस अवैध जनसुनवाई और उद्योग के पिट्ठू अधिकारी के माध्यम से बैठे है। क्या कन्शलनेंट को लोगो के साथ खिलवाड़ करने के लिये रखा गया है। जिले के विधायक मंत्री बेकार बैठे हुये है। प्रकृति का न्याय किसी को बक्शता नहीं। मेरे जाने के बाद सायद आप इस जनसुनवाई को निरस्त कर दे। आपसे मैं निवेदन करता हूँ आगे के जनसुनवाई को निरस्त करने का सोच लिजिए चाहे वह किसी की भी जनसुनवाई हो क्यों कि ये सोरे एक ही कन्सलटेशन के द्वारा बनाये गये है। केन्द्रीय पर्यावरण अधिकारी से ई.आई.ए. पारित होना था। मै कानुन का उल्लंघन करूंगा तो आप मुझे कानुन का उल्लंघन करने को मजबुर कर रहे है मैं एसा समझुंगा। क्या आप स्वयं राष्ट्रपति है कि मै जो कहुंगा वही होगा। आप राष्ट्रपति के द्रोही है आप उसकी गरीमा को ठेस पहुचा रहे है। ग्रामपंचायत में ग्रामसभा से जब तक परमिशन नहीं लेंगे तो जनसुनवाई नही हो सकती। आपके पास ग्रामपंचायत का प्रस्ताव नहीं है जो मान्नीय न्यायालय से भी ज्यादा शक्तिशाली है। आप सभी को कानुन का उल्लंघन करने का ठेका मिला है क्या? 05 तारिख की जनसुनवाई आप नहीं करा पायेंगें मैं देखुंगा आपकी ताकत अगर मैं जेल में नहीं रहा और मरा नहीं तो। एक नागरिक, एक इस देश के शासक का उनके नौकरों के साथ कैसे व्यवहार होगा।

476. जन सुनवाई के विरोध में बहुत बोल रहे आज। क्या वें एक भी निर्धन कन्या विवाह में सहयोग किया है क्या, हमने किया है। यहां 05 फेक्ट्री से 1.5 लाख का सहयोग दिया है यहा सिर्फ प्रदूषण ही नहीं है। कोई भी फेक्ट्री किल्न लगाती है तो ईएस.पी. भी लगाई जाती है। इस्सट सप्रेसन के लिये लगाये ई.एस.सी. सभी फेट्री में है। घरो के निर्माण के लिये टी.एम.टी. लग रही है उससे डस्ट का कोई व्योरा ही नहीं है। यहां तो व्यक्तिगत् लडाई हैं जैसे विरोध हो रहा है। स्कूल में शिक्षा के लिये परिपक्व टीचर उपलब्ध हो पा रही है। सी.एस.आर. के माध्यम से प्लांट ही करा रही है। तीन–चार शिक्षक डी.एम.एफ. से पड़ा रहे हैं। यह पैसा कंपनी की दे रहा है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह में 25 लाख का दहेज का सामान दिया गया है। विवाह के बाकी सभी चीज का सहयोग फेक्ट्री वाले का जैसे पडाल फल कुंड की व्यवस्था की गई है। एक बेटी की शादी में 10 लाख लगा तो शासन 25 लाख में 100 बेटियों का शादी कैसे कराया। एन.आर. इस्पात एक ट्रामा सेन्टर खोलने को कहा गया जिससे पंचायत बिल्डिंग का व्यवस्था नहीं करा पाई जिले एनआर.

इस्पात ने कराया है। तराईमाल एक रेड जोन ही है। यहां आदमी कितना वर्ष जिये वो माईने नहीं है कैसा जिया वो मायने रखता है। हमारे दादा परदादा 110 वर्ष जिये। अंकुर गोटिया जी को आज 90 साल हो गया है और वह ऐसा काम किये है कि उन्हे आगे 90 साल तक याद करेगा। यहां विरोध करने वाले अपने नाम के कारण विरोध करते है। मां शिवा प्लांट के दो लड़के यहां जनसुनवाई करवाया। मैं ग्राम पंचायत पंच हूं। मुझे बोला गया आप सहयोग करें। ये उद्योग लगा रहे है 100 लोगो को पाल रहे है। आस–पास के लोग कमा रहे है। आप समाज का सयोग करते है तो प्लांट का विरोध क्यों करते है। 05 को फिर से जनसुनवाई वो दो दिन में दो बुंद खुन दान करके आये और दो कन्या का विवाह करवा के आये और विरोध करे मैं उनका समर्थन करूंगा। सिंघल, बी.एस., एन.आर. को विद्युत क्रय के लिये सहयोग के लिये बोला गया और वो लोग सभी आस–पास के 10 कि.मी. में विधुत का सप्लाई किया गया है। यहां मुक्तिधाम में सौंदर्यीकरण सिंघल के द्वारा कराया जा रहा है। यहां शासन प्रशासन बैठे है और यहां डस्ट को देख रहे है। बच्चो के खेल में बच्चो के ईनाम फैक्ट्री के द्वारा ही दिया जाता है। यहां गांव में सी.एस.आर. मद से बाजार में गली में रोड़ बनी है। इसका पैसा शासन नहीं दे रहा है यही से कलेक्टोरेट जा रहा है फिर पंचायत को मिल रहा है। बंजारी मंदिर में जितने भी निर्माण कार्य हुये है मेरे दादा जी 03 एकड़ जमीन दान में दिये अंकुर जी 03 एकड़ दिये है। यहां विकास हुआ है तो क्यो शासन से विकास हुआ है शासन से 40 प्रतिशत विकास हुआ है तो उद्योग से 60 प्रतिशत् विकास हुआ है। आने वाले जनसुनवाईयों में पीठासीन अधिकारी, पर्यावरण अधिकारियों को संबाधित नहीं करते है। यह जनसुनवाई है जनता ही सुनेगी। समर्थन करेगी तो समाज का विकास होगा। 1986 के किताब में भी जी.एस.टी था उस टाईम अंग्रेज लेती थी आज बीजेपी शासन लेती है। उद्योग आये यहां पे उद्योग के आने से जन–जन का विकास होना है।

477. पंचराम मालाकर, तराईमाल – पर्यावरण मानव जीवन के लिये हानीकरक भी है और नहीं भी है। यह हमारा ग्राम पंचायत 5000 के आबादी में बसा हुआ है। पहले 750 था उसके बाद 1200 उसके बाद फैक्ट्री आने लगी अब 5000 है। हमारे ग्रामपंचायत में 05 फैक्ट्री है। मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ। मै एन.आर. इस्पात के मालिक को बोला हुं कि यहां अस्पातल खोला जाये तो उन्होने 35 लाख अस्पताल के लिये राजी है। शिक्षा के क्षेत्र में हमने माली समाल समिति की ओर 5वी तक का स्कूल संचालित कर रहे हे वह पहले मिट्टी खप्पर का था जिसे उनके द्वारा मरम्मत करवाया गया है। गर्मी में ठंडा पानी के लिये 500–1000 लीटर के लिये टंकी की व्यवस्था का निवेदन किये है। गांव में पहले विकास होना चाहिए फिर आस–पास के 10 कि.मी. में फिर जिला में होना चाहिए। लिखित दिये कि गांव में 12वी क्लास के लिये तो कलेक्टर ने 35 लाख का स्कूल भवन का निर्माण का आश्वाश्न दिया है। फैक्ट्री से बीच–बीच में किसी भी चीज के निर्माण के लिये पैसा दिया जाता है। शासन तो नहीं करा रहा है तो फैक्ट्री से सड़क और कार्य करवाया जाय।

478. कन्हैयालाल, तुमीडीह – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।

479. रामसाय डनसेना, तराईमाल – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।

480. पितरूमालाकार, तराईमाल – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।

481. विजय कुमार, गेरवानी – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ। एन.आर. ग्रुप क्षेत्र के सभी युवाओं को रोजगार दिया गया है। प्रशासन से कहना है कि उद्योग से ज्यादा, ट्रकों से प्रदूषण हो रहा है। सड़क का मरम्मत करायें।

482. मुकेश अग्रवाल, गेरवानी – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
483. गंगा प्रसाद धोबा, सरपंच, सामारूमा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
484. राधिका सिंह, उप सरपंच, सामारूमा – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ। कंपनी के आने से हमारे क्षेत्र के बहुत से लोगो को रोजगार मिला है। राजमिस्त्री है।
485. डमरूधर, – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
486. युगलकिशोर, तराईमाल – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
487. अमित कुमार – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
488. राजु गुप्ता, तराईमाल – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
489. क्रिस्टल साहू, तराईमाल – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ। उद्योग प्रबंधन से निवेदन है कि एन.आर.. प्लांट द्वारा रोड़ में पानी छिड़काव करें देलारी के लड़के को रोजगार दें।
490. दशरथ – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
491. तरूण सोनी – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
492. धनीराम मालाकार – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
493. सोनु सिदार – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
494. बुंद सिंह, – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
495. लक्ष्मी, तराईमाल सरपंच – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
496. घनश्याम – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
497. श्रद्वाकार, – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।
498. करन, – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ। फेक्ट्री वाले तराईमाल के कितने युआवों को रोजगार मिला है। हम लोग जाते है रोजगार के लिये तो बोलते है लोकल वालो को नहीं रखेंगें। लोकल वालों को रोजगार दें। विकास हो रहा है।
499. भरत सिंह, – मेसर्स एन.आर.टी.एम.टी. इण्डिया प्रा.लि. का समर्थन करता हूँ।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ने कहा कि यदि कोई ग्रामीणजन, आस–पास के प्रभावित लोग अपना पक्ष रखनें में छूट गये हो तो मंच के पास आ जाये। जनसुनवाई की प्रक्रिया चल रही है। उन्होने पुनः कहा कि कोई गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधी छूट गये हो तो वो आ जाये। इस जन सुनवाई के दौरान परियोजना के संबंध में बहुत सारे सुझाव, विचार, आपत्ति लिखित एवं मौखिक में आये है जिसके अभिलेखन की कार्यवाही की गई है। इसके बाद 4:15 बजें कंपनी के प्रतिनिधि/पर्यावरण कंसलटेंट को जनता द्वारा उठाये गये ज्वलंत मुद्दो तथा अन्य तथ्यों पर कंडिकावार तथ्यात्मक जानकारी/स्पष्टीकरण देने के लिये कहा गया।

कंपनी कंसलटेंट श्री महेश्वर रेड्डी द्वारा बताया गया कि ये प्रस्तावित परियोजना में इसे आपग्रेड कर 7 से 12 टन किया जायेगा। वर्तमान में बिलेट्स बनाके फन्रेस में कर रोलिंग किया जायेगा। रोलिंग में हॉट चार्जेस लगाया जा रहा है। इसमें पॉल्यूशन कुछ भी नहीं होता है। लोकल लोगो को नोकरी दिया जायेगा। गांव में पेड़ पौधे लगाया जायेगा। इण्डस्ट्रीयल पार्क में पंचायत का कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य के लिये हेल्थ चेकअप गांव में किया जायेगा। बैग फिल्टर सिस्टम लगाया गया है। ई.आई.ए. रिपोर्ट में हमने हाथी कारीडोर के बारे में लिखा है। जिसमें 40 लाख का बजट फॉरेट डिपार्टमें को दिया जायेगा हमने दर्शया है।

सिलिकोशिशि नॉमल होता है क्वार्टज मटेरियल होता है इसमें मेटिंग के दौरान सिलिकोशि का कोई चान्स नहीं है। इसमें कोई कार्बन डाई ऑक्साईट नहीं होता। 45 दिन का नियम रखा है मिनिस्ट्री नें। ये कोई नियम का उल्लघन नहीं है।

राधेश्याम शर्मा के द्वारा कहा गया है कि सॉट शमरी से क्या पुरे ई.आई.ए. को पढ़ा जा सकता है। कम्प्लीट ई.आई.ए. रिपोर्ट क्षेत्रीय भाषा में होनी चाहिए। जिस ग्राम से सेम्पल लेते है उस गांव के सरपंच लोगो का पंचनामा होना चाहिए। 14 दिसम्बर के प्रावधान में प्रावधानित है।

सुनवाई के दौरान 04 अभ्यावेदन प्रस्तुत किये गये तथा पूर्व में 01 अभ्यावेदन प्राप्त हुये है। संपूर्ण लोक सुनवाई की वीडियोग्राफी की गई। लोकसुनवाई का कार्यवाही विवरण क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा पढ़कर सुनाया गया। तत्पश्चात सायं 4:45 बजे धन्यवाद ज्ञापन के साथ लोकसुनवाई की समाप्ति की घोषणा की गई।

(एस.के. वर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़

3/3/21
(आर.के. कटारा)
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
जिला–रायगढ़ (छ.ग.)